पंचम माला, खंड 64, अंक 17, गुरुवार, 2 सितम्बर, 1976/ 11 भाद्र, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIV, No. 17, Thursday, September 2, 1976/Bhadra 11, 1898 (Saka)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 276(1)
4.XI.197(

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 64 में अंक 11 से 17 तक हैं
Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17, गुरुवार, 2 सितम्बर, 1976/11 भाद्र, 1898 (शक)

No. 17, Thursday, September 2, 1976 /Bhadra 11, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1-2
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	2
बोनस सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में	Re. Statement on Bonus	2-3
विशेषाधिकार समिति के 17वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव:--	Motions Re. Seventeenth Report of Committee of Privileges—	3—10
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	3, 4-5, 8, 9, 10
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	5
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	5, 8, 9
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	5-6
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	6, 8
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	6-7
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	7
श्री सी० एम० स्टीफ़न	Shri C. M. Stephen	7-8
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	3, 8, 9
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक--	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill—	10—42
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to Consider—	
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	10-11
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	11-12
श्री दशरथ देव	Shri Desaratha Deb	12-13
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	13—15
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	15-16
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	16-17
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	17-18
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani	18
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	18-19
श्री ए० के० किस्कू	Shri A. K. Kisku	19

विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	19-20
श्री एस० एम० सिद्दय्या	Shri S.M. Siddayya	20-21
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan	22
श्री कमला मिश्र "मधुकर"	Shri K. M. 'Madhukar'	22
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Barman	22-23
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	23
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	23-24
श्री जी० वाई कृष्णन्	Shri G.Y. Krishnan	24
श्री नत्थू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	24
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	25
श्री अनादि चरण दास	Shri Anadi Charan Das	25-26
श्री एम० जी उइके	Shri M.G. Uikey	26
श्री के० प्रधानी	Shri K. Pradhani	26
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal	26-27
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	27-28, 29-30
खण्ड 2 से 10 और 1	Clauses 2 to 10 and 1	30—41
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	41-42
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	41
श्री जंबुवंत धोटे	Shri Jambuwant Dhote	41
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena .	41
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	41
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	42
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	42
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक —	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill—	42—49
विचार करने का प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider as reported by Joint Committee	42—49
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	49

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	Advocates (Amendment) Bill—	49—55
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad .	49-50, 52-53
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	50
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	50
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S.L. Saksena	50
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	50-51
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan . . .	51
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	52
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwari	52
खण्ड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad . .	54-55
श्री जम्बूवन्त धोटे	Shri Jambuwant Dhote . . .	54

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 2 सितम्बर, 1976/11 भाद्र, 1898 (शक)

Thursday, September 2, 1976/Bhadra 11, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair.*

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन का परिशिष्ट

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं श्री शाहनवाज खां की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन के 'परिशिष्ट' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [सभा पटल पर रखा गया। (देखिए संख्या एल० टी० 11353/76]

राष्ट्रीय रूपांकन संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन; कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद का वर्ष 1973-74 और 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन और विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं श्री बी० पी० मौर्य की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय रूपांकन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[सभा पटल पर रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 11353/76]

(2) (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कागज, लुगदी तथा सहायक उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11354/76]

राज्य सभा से सन्देश

[MESSAGES FROM RAJYA SABHA]

महासचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 1 सितम्बर, 1976 को अपनी बैठक में भारत के संविधान क अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, लोक सभा द्वारा 30 अगस्त, 1976 को पास किये गये संविधान (43 वां संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा 1 सितम्बर, 1976 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 30 अगस्त, 1976 को पास किय गये संविधान पंचम अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 1 सितम्बर, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 अगस्त, 1976 को पास किये गये केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन, विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

बोनस सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में

RE. STATEMENT ON BONUS

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी, मैं बोनस विधेयक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरी यह धारणा थी कि इस का संबंध वित्त मंत्री महोदय से है। किन्तु अब मुझे बताया गया है कि इस का संबध श्रम मंत्री

महोदय से है। वह इस समय राज्य सभा में हैं। मैं अब वहां जा रहा हूं और मैं वापिस आकर इस बारे में आपको बताऊंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय यह जान लें कि हम क्या चाहते हैं।

श्री के० रघुरामैया : मुझे महासचिव से कागजात प्राप्त हो गये हैं। मैं यह जानता हूं कि आप क्या चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे एक मिनट का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये कि वह क्या समाचार लाते हैं।

MOTIONS RE: SEVENTEENTH REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :--

> "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर, जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, विचार करती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

> "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के 17वें प्रतिवेदन पर, जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था विचार करती है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

> "कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में, जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, दिये गये निष्कर्षों तथा सिफारिशों से सहमत है और संकल्प करती है कि श्री कृष्ण कान्त दत्त को सभा का विशेषाधिकार भंग करने और उसका अवमान करने के कारण लोक सभा के सत्रावसान तक कारावास का दंड दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुरामैया भी अपना प्रस्ताव पेश करें :

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह सभा संकल्प करती है कि प्रतिवेदन के पैरा 50 के सन्दर्भ में, यह मामला समाप्त किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन में, जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, दिये गये निष्कर्षों तथा सिफारिशों से सहमत है और संकल्प करती है कि श्री कृष्ण कान्त दत्त को सभा का विशेषाधिकार भंग करने और उसका अवमान करने के कारण लोक सभा के सत्रावसान तक कारावास का दंड दिया जायें।"

"कि विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह सभा संकल्प करती है कि प्रतिवेदन के पैरा 50 के सन्दर्भ में यह मामला समाप्त किया जाये।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य : बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत समय पहले पिछले सत्र में पेश किए मेरे प्रस्ताव अब लिए गए हैं। पता नहीं श्री रघुरामैया ने समिति की सिफारिश अस्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव क्यों कर पेश किया है।

समिति का यह विचार है कि श्री अजितकुमार साहा के कार्ड की आसनसोल रेलवे स्टेशन के प्रतिक्षालय में एक बार जांच करना तो समझ में आता है परन्तु सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों और सरकारी रेलवे पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके परिचय कार्ड की बार-बार जांच करना तथा पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस थाना ले जाना श्री साहा को जानबूझ कर तंग करना है। सम्बन्धित अधिकारियों का ऐसा करना निन्दनीय कृत्य है तथा सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन तथा अपमान है। इसलिए समिति सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि उनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई की जाए तथा उसकी सूचन यथाशीघ्र सदन को दी जाए।

श्री कृष्ण कांत दत्त के बारे में समिति का विचार है कि उन्होंने भी आसनसोल रेलवे और रेलवे पुलिस अधिकारियों की गलत शिकायत करके सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन तथा उसका अपमान किया है, जिसके कारण श्री अजित कुमार साहा को तंग किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। श्री कृष्ण कांत दत्त ने सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन और अवमान दोबारा भी किया जब उन्होंने समिति के सामने यह गलत साक्ष्य दिया कि मैंने श्री अजित कुमार साहा के विरुद्ध, जैसा कि सरकारी रेलवे पुलिस, स्टेशन आसनसोल की डायरी में 29 जून, 1976 को दर्ज किया गया है, कोई लिखित शिकायत नहीं की। परन्तु समिति का यह विचार है कि उनके लिए किसी दंड की व्यवस्था करने की समिति को आवश्यकता नहीं है, परन्तु वह यह अधिकार सदन को देती है कि वह उन्हें उचित दंड दे।

यह एक ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसने जानकर झूठा वक्तव्य और साक्ष्य पुलिस और रेलव अधिकारियों के सामने दिया तथा विशेषाधिकार समिति के सामने लिखित शिकायत करने से मना किया। बाद में तथ्यों और वक्तव्यों और कागजातों से यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने लिखित शिकायत की थी, यद्यपि उन्होंने उसे माना नहीं। समिति को इस पर गहरी आपत्ति है।

अत: जहां तक उस व्यक्ति के आचरण का संबंध है, संसद के और एक संसद सदस्य के अपमान का संबंध है यह एक बड़ा गंभीर मामला है।

यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों ने अपने आचरण के लिए क्षमा मांग ली इस व्यक्ति ने जानबूझकर और इरादे से तथा तथ्यों को छिपाए जाने के दुराशय से समिति से साक्ष्यों को छिपाया और झूठी गवाही दी। इसलिये हम संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि उसे इस प्रकार संरक्षण न दिया जाए। यह एक अपराधी को संरक्षण देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : आपने विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन की नियुक्ति की है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं।

तथ्य यह है कि समिति ने स्वयं यह सिफारिश की है कि सदन जो भी चाहे उचित दंड दे। संसद् को दंड के संबंध में, विशेषकर तब जबकि व्यक्ति महत्वहीन है, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दंड देना सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और इसी कारण समिति ने स्वयं दंड न सुझा कर यह काम सदन के विवेक पर छोड़ दिया है। हमें उस विवेक का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और मामले को समाप्त कर देना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समिति ने बड़ी सावधानी के साथ इस बात पर विचार किया है कि क्या वह श्री दत्त को विशेषाधिकार के उल्लंघन का दोषी सिद्ध कर सकती है जबकि अदालत ने उसे इस दोष से बरी कर दिया है। मामले से संबंधित तथ्यों के आधार पर समिति का विचार है कि अदालत का यह निर्णय सदन के अपराधी को दंड देने के अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगाता है। यदि तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यदि समिति ने किसी विशेष दंड की सिफारिश नहीं की है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उस व्यक्ति को किसी प्रकार का दंड ही नहीं देना चाहती। उसके अपराध की गहनता को देखते हुए समिति ने यह सदन पर ही छोड़ दिया है कि क्या दंड दिया जाये।

मैं श्री रघुरामैया का समर्थन करने वाले सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि संसद् के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को बिना किसी दंड के छोड़ दिया जाये। क्या अध्यक्ष महोदय ने उसे डाट-फटकार की है अथवा उसकी निंदा की है ? मैं श्री रघुरामैया जी से निवेदन करता हूं कि वह श्री दत्त को बिना दंड के न छोड़ें।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि जब सदन में विशेषाधिकार के मामले पर चर्चा होती है तब सदन न्यायालय का रूप ले लेता है। अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश बन जाता है तथा सभा के विशेषाधिकार की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य बन जाता है।

आप सभा की गरिमा की रक्षा करें। माननीय सदस्य श्री दत्त को उचित दण्ड का सुझाव थे।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्यों को भाग लेना है। या तो हमें समय बढाना पड़ेगा अन्यथा माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : यह सच है कि समिति ने मामले का अध्ययन किया है, कोई सिफारिश नहीं की है।

[श्री वी० के० दासचौधरी]

यह मामला सभा पर छोड़ दिया गया है। समिति की पूरी कार्यवाही को ध्यान से देखने से स्पष्ट होगा कि उनका अध्ययन महत्वपूर्ण है।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि प्रथम सूचना, जिसके लिए श्री दत्त को इस सदन के एक सदस्य पर गलत आरोप लगाने का दोषी माना है उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, उचित प्रक्रिया के अभाव में यह मामला उच्च न्यायालय को इसलिए भेजा जा चुका है कि वह निर्णय दे कि आगे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए। धारा 182 के अन्तर्गत श्री के० के० दत्त के विरुद्ध कारवाई करने के बाद उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 245 के अन्तर्गत पूणत: बरी कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ इस सारे काण्ड में उन्हें कहीं भी दोषी नहीं पाया गया।

इन तथ्यों की दृष्टि से मेरा विचार है कि श्री के० के० दत्त के वक्तव्य को झूठा सिद्ध करना अभी भी शेष है। जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक सदन के लिए किसी को बुला कर उसकी भर्त्सना करना उचित नहीं। इसलिए श्री दीनेन भट्टाचार्य के प्रस्ताव का विरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात कहें तो 4 सदस्यों को समय दिया जा सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री के० के० दत्त ने समिति के समक्ष जो बयान दिया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं श्री दीनेन भट्टाचार्य द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सिद्धान्त का प्रश्न निहित है।

एक संसद् सदस्य को जिसके पास अपना पास भी था एक रेलवे अधिकारी द्वारा तंग किया गया। विशेषाधिकार समिति के निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हैं। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि विशेषाधिकार समिति का निरादर किया जायेगा। समिति ने सम्बद्ध रेलवे अधिकारी के आचरण पर अप्रसन्नता व्यक्त की है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है। इस प्रकार समिति ने यह स्पष्ट कहा है कि बहुत गलत बात हुई है तथा उस रेलवे अधिकारी के विरुद्ध कुछ कार्यवाही अवश्य की जाये।

श्री कृष्णकान्त दत्त के सम्बन्ध में, जो इस काण्ड का खलनायक है, में समिति का विचार है उसके लिये किसी विशेष दण्ड सुझाने की आवश्यकता नहीं है, वरन् यह काम सदन के विवेक पर छोड़ दिया गया है। समिति ने यह नहीं कहा है कि तथ्यों के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए मामले को समाप्त कर दिया जाये।

इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि समिति सदैव सावधानी से विचार करने के बाद सिफारिशें करती है, इसलिए जब समिति कोई दण्ड देने की बात कहती है तो यह देना अब हमारा काम है। श्री दीनेन भट्टाचार्य ने, जो दण्ड दिया जाए, वह सुझा दिया है। कम से कम उसे सदन के सामने लाकर उसकी भर्त्सना की जाए। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संसदीय कार्यपालक की आत्मा के विरुद्ध है। यह विशेषाधिकार समिति की सिफारिशों का अपमान है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : श्री भट्टाचार्य ने मामले को सभा के समक्ष रखते हुए श्री रघुरामैया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने श्री के० के० दत्त को बचाने की चेष्टा की है। परन्तु

प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या इस व्यक्ति को दण्ड देने से सदन की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

इस मामले के कुछ तथ्यों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। श्री दत्त ने बड़े स्पष्ट रूप से उस वक्तव्य के दिए जाने से इनकार किया है जिसके आधार पर उसे दण्डित करने की मांग की गई है। उसके इस वक्तव्य का संबंध मूल कागजात से बैठाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश मूल कागजात उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये कागजात मिल नहीं रहे हैं तो वह व्यक्ति अपराधी है जिसके पास ये कागजात हैं और हम श्री दत्त के विरुद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कागजात कभी भी उनके पास नहीं थे।

इसके अतिरिक्त श्री दत्त को दाण्डिक न्यायालय ने आरोपों से बरी कर दिया। मैं इस तथ्य से इंकार नहीं करता कि दाण्डिक न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद इस सदन या विशेषाधिकार समिति को उसे दण्डित करने का अधिकार नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे मामले में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध न हो, जिसमें दाण्डिक न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा हो कि अपराधी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, उसे दण्ड देना उसे आवश्यकता से अधिक महत्व देना है।

केवल कुछ साधारण मामलों में यह सदन किसी व्यक्ति को दण्ड देने का कदम उठाना चाहता है। क्योंकि हम इस अधिकार को उन्हीं मामलों तथा व्यक्तियों तक सीमित रखना चाहते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यदि यह सदन सामान्य व्यक्तियों को सभी मामलों में थोड़ा सा भी सन्देह होने पर दण्ड देने लगे तो यह शस्त्र जो सदन के पास है उसका महत्व समाप्त हो जायेगा।

जब समिति ने यह अधिकार सदन पर छोड़ा है तब सदन को यह अधिकार है कि दण्ड दे अथवा न दे। इसलिए मेरे विचार में सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि हम समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करलें। हम यह नहीं कहते कि श्री दत्त अपराधी नहीं हैं। लेकिन साथ ही में सारे मामले को ध्यान में रख कर देखना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई दण्ड देना आवश्यक नहीं है तथा मामले को समाप्त किया जाये।

Prof. S. L. Saksena (Gorakhpur): It is being said that the criminal court has acquitted him. It means that the findings of the Committee of Privileges are wrong. In this matter, a member has been been deliberately humiliated. I feel that some punishment must be given.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुत्तुपुजा): संभवत: श्री रघुरामैया के प्रस्ताव के पीछे जो भावना है उसे भली प्रकार नहीं समझा गया है। विशेषाधिकार समिति के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है श्री रघुरामैया ने हमसे कहा है कि हमें इस मामले पर गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या सदन को इस संबंध में अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करना चाहिए अथवा नहीं इसलिए सुझाव यह है कि उस व्यक्ति की उपेक्षा करने से ही उसे दण्ड मिल जाएगा। इस संबंध में इस तरह का रुख अपनाना संसद् के लिए उचित होगा।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि रेलवे अधिकारियों के आचरण के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए समिति ने यह सिफारिश की है कि सरकार उनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करे और सदन को यथाशीघ्र इसकी सूचना दे। क्या एक संसद् सदस्य का अपमान विशेषाधिकार का उल्लंघन

[श्री सी०राम० स्टीफन]

है और क्या उसके लिए विभागीय दण्ड देना या इस सदन द्वारा दण्ड देना उचित है। हमें असली अपराधी को दण्ड देने का अवसर मिलना चाहिए और उसे सदन अवश्य दण्डित करे। सदन द्वारा भर्त्सना और विभाग द्वारा भर्त्सना एक बात नहीं है। यदि उन्हें सदन द्वारा दण्ड नहीं दिया जाता तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का दण्ड दिया जाए, अर्थात उनकी उपेक्षा कर दी जाए, इन शब्दों के साथ मैं श्री रघुरामैया के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

निर्माण; आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया): मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है।

यह बात विवादस्पद नहीं है कि समिति ने श्री के० के० दत्ता को सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे यह प्रस्ताव सभा में पेश करना पड़ा है। इस मामले में याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री दत्ता ने मूल रूप से जो शिकायत की है वह गुम है।

जैसाकि एक सदस्य ने बताया है कि दाण्डिक न्यायालय ने इसी आरोप की जांच की है कि श्री दत्ता ने एक संसद् सदस्य के विरुद्ध शिकायत की है और योग्य मजिस्ट्रेट ने श्री दत्ता को दोषी सिद्ध किया है।

हमें यह भी ध्यान में रखना है कि श्री दत्ता को पहले ही काफी दण्ड मिल चुका है और हम समिति के निष्कर्षों को अस्वीकार नहीं करते कि उन्होंने सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है जो जीवन भर के लिए उनके लिए लज्जा की बात है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। इतना ही पर्याप्त हैं और सभा में उपस्थित करके हम उसे महत्व नहीं देना चाहते। इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि समिति स्वयं कोई विशिष्ट दण्ड न देकर दण्ड देने की बात सभा पर क्यों छोड़ रही है ऐसा पूर्वोदाहरण क्यों स्थापित किया जा रहा है। यह सदस्य के विशेषाधिकार का मामला है। संसदीय कार्य मंत्री को स्वयं यह प्रस्ताव लाना चाहिए। यहं कोई ऐसा मामला नहीं जिसकी उपेक्षा की जाए।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : विशेषाधिकार समिति को ही इस बात का निर्णय करना चाहिये कि उसे क्या दण्ड दिया जाए या तो आप इस मामले को वापिस विशेषाधिकार समिति को भेजें या श्री दीनेन भट्टाचार्य का प्रस्ताव स्वीकार करें।

श्री वसन्त साठे (अकोला): मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर मतदान न कराया जाए। मैं स्वयं भी विशेषाधिकार समिति का सदस्य रह चुका हूं और समिति के इतिहास में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब कि सभा ने उसके निर्णय के विरुद्ध मतदान किया हो। अतः हमें ऐसी प्रथा नहीं बनानी चाहिए मेरा श्री भट्टाचार्य से अनुरोध है कि वह इस प्रस्ताव पर अब जोर न दे। दोष सिद्ध हो गई है और जैसा माननीय मंत्री श्री रघुरामैया ने कहा है कि इस व्यक्ति की काफी भर्त्सना हो चुकी है। भर्त्सना स्वयं एक प्रकार का दण्ड है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा सुझाव है कि इस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाए। हमें क्षमा शब्द का प्रयोग करके मामला समाप्त कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस मामले पर सब एकमत नहीं है मेरे पास इसे मतदान के लिए रखने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अध्यक्ष महोदय मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं यह चाहता हूं कि श्री रघुरामैया अपने प्रस्ताव में थोड़ा सा संशोधन करें और करें कि वह व्यक्ति विशेषाधिकार उल्लंघन का दोषी पाया गया है फिर भी सभा उसे क्षमा करती है। क्योंकि सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह व्यक्ति दोषी है।

श्री के० रघुरामैया : मैं इस संशोधन के लिए तैयार हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है कि श्री के० के० दत्त इस सभा के विशेषाधिकार उल्लंघन और अवमान के दोषी हैं परन्तु वह संकल्प करती है कि इस मामले में आगे कार्यवाही न की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से जो 27 जनवरी, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है श्री के० के० दत्त इस सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन और अवमान के दोषी हैं परन्तु वह संकल्प करती है कि इस मामले में आगे कार्यवाही न की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : श्री एस० एम० बनर्जी ने कर्मचारियों को ईद; दिवाली, ओनम इत्यादि त्योहारों से पहले बोनस न दिए जाने के संबंध में उनमें व्याप्त असंतोष का उल्लेख किया है वह चाहते हैं कि इस संबंध में एक वक्तव्य दिया जाए। मैंने श्रम मंत्री से इस संबंध में बातचीत की है उन्होंने मुझे बताया है कि इस मामले पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है और इस स्थिति में कोई वक्तव्य देना जनहित में नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में आपका क्या विचार है। उनका तो राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है। भारतीय तेल निगम ने 20 प्रतिशत बोनस की घोषणा की है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं केवल गैर-सरकारी क्षेत्र की ही बात नहीं कर रहा। जहां कपड़ा, पटसन और इंजीनियरी उधोगों ने बोनस की घोषणा ही नहीं की है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भारतीय तेल निगम ने 20 प्रतिशत बोनस की घोषणा की है; शिपिंग कार्पोरेशन जिसे अधिकतम लाभ हुआ है सरकार के किसी निश्चित आदेश के अभाव में बोनस देने में असमर्थ है इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री वक्तव्य दें ताकि कर्मचारियों के मन में व्याप्त इस भय को कि वह बोनस से वंचित नहीं रहेंगे दूर किया जा सके।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं उस क्षेत्र का हूं जहां पूजा बड़े धूम धाम से मनाई जाती है और पूजा के समय कर्मचारियों का काफ़ी पैसा खर्च होता है और इसी समय उन्हें पैसे की काफ़ी जरुरत होती है। कर्मचारी वर्ग ने आपात स्थिति को स्वीकार किया है और 20 सूत्री कार्यक्रम में आस्था प्रकट की है।

मजदूरों ने कारखानों में काम करके अच्छा उत्पादन किया है परन्तु इसके बावजूद भी श्रम मंत्री द्वारा यह आश्वासन नहीं दिया जा रहा कि उनके साथ न्याय किया जायेगा। मंत्री महोदय द्वारा दिया गया इस प्रकार का आश्वासन श्रमिक वर्ग को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने में लाभकारी हो सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): प्रायः हर वर्ष मजदूरों को बोनस दिया जाता है परन्तु यह पहला वर्ष है जबकि अधिकांश उपक्रमों के मजदूरों को बोनस नही दिया जा रहा है। आज सत्र का अंतिम दिवस है, अतः इसके बारे में कोई स्पष्ट आश्वासन दिया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): हमारे में से अनेक लोगों का सम्बन्ध संघों से है। अभी तक हमें यह बताया गया है कि सभी सरकारी उपक्रमों में समान नीति अपनाई जायेगी अभी हाल ही में समाचारपत्रों में यह घोषणा प्रकाशित हुई है कि भारतीय तेल निगम ने अपने कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस देने का निर्णय किया है। अतः हम यह जानना चाहते है कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया है। आज सत्र का अंतिम दिवस है अतः हम चाहते है कि श्रम मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य दे दे। श्री रघुरामैया इसके बारे में भला क्या बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आप के विचार माननीय मंत्री महोदय को बता देगें।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक--जारी

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा द्वारा अब अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Sir, yesterday I was drawing the attention of the House towards some of the weak points of this Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendments) Bill. One great discrepancy of this Bill is that while a particular tribe is regarded as a Scheduled Tribe in one State the same Tribe is not regarded as such in the other States. Even inside a State while a particular tribe is regarded as Scheduled Tribe in one region it is not regarded so in the other region of the same State. This anomaly must be got removed. To supplement my point I would like to quote an example. In West Bengal there is one Islampur Division in which some tribes like Hari, Rajvanshi, Sunri and

Namshudra are living. Formerly these tribes were regarded as criminal tribes. Now these tribes are no longer criminal tribes and have been excluded from the list of Scheduled Castes. This is another point which should be looked into by the Government. Similarly, the Chamans in Kerala and Agnikul Kshtris in Andhra Pradesh should also be included in the Scheduled Castes and they should be given the privilege of enjoying all the rights which are being enjoyed by the Scheduled Castes.

The Condition of Scheduled Castes and Tribes is highly unsatisfactory and in many cases very pitiable. Even after 28 years of independence there have not been much change in their condition. Even the basic human necessity of drinking water has not been provided in the localities inhabited by the Scheduled Castes. Moreover, our society even today has a large number of conservative people who do not allow these people to draw water from their wells. It is a matter of great concern for the nation as a whole and I will request the Minister to look into this matter seriously.

I am also sorry to point out that even after 30 years of independence the caste feeling is still prevailing in our country though it should have been completely diminished by this time. This feeling is also having its bad impact on the political life of the country and is definitely injurious for our national unity. Some thing must be done to do away with this feeling and such conservative and negative thinking.

Regarding the reservation of seats for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, may I know from the Government that how long this system will continue. Now the time has come when all progressive thinkers in the country have agreed for the establishment of a classless and casteless and sosiety. My only submission in this regard is that all possible concrete steps should be taken by the Government to implement this thinking and practice. To day, a large number of Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have adopted Budhism, Sikhism, Jainism and some other religions. It is irony of the fate that when a person belonging to Scheduled Caste joins these religions he is deprived of the facilities which he was enjoying previously. This is not fair and this should also be looked into by the Government.

With these words I support the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bills.

अध्यक्ष महोदय: बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम समय में अपने विचार व्यक्त करें ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सके।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : हमें इस उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ी क्रान्ति लानी है वह यह है कि धर्मों तथा समुदायों में एकीकरण स्थापित किया जाये । इस विधेयक से वास्तव में वर्गीकरण रोकने में सहायता मिलती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कुछ करने के लिए प्रयास किये गए हैं किन्तु उनका प्रभाव उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था। अब इस विधेयक को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह उपयोग में लाया जाना चाहिए।

यह एक छोटा सा विधान है यह व्यापक हो सकता था और इसे व्यापक होना भी चाहिए था। समृद्ध लोगों के समकक्ष लाने के लिए कमजोर वर्गों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इसमें कहा

गया है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी भाग में जा कर बस सकता है। किन्तु जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जो कुछ एक हाथ से दिया गया है, वह दूसरे हाथ से छीन लिया गया है। हम यह सब कुछ एक साथ क्यों नहीं कर सकते हैं ? यह विधेयक इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मजबूत हथियार होना चाहिए। इस विधेयक ने हमारे संविधान में निहित मूल्य को नगण्य बना दिया है क्योंकि इसमें समस्याओं का ही जिक्र किया गया है।

जितनी जल्दी "अनुसूचित" "मिस्त्री" शब्दों को हटाया जायेगा उतना ही बेहतर होगा। वे अपमानजनक शब्द हैं।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है तथा बहुत से सदस्य इसकी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मंत्री महोदय को अपने वक्तव्य के लिए लगभग 45 मिनट का समय चाहिये। अतः उन्हें 5 बजे बुला लिया जाये। इसके बाद सभा कुछ देर अधिक चलती रहेगी क्योंकि अभी दो अन्य विधेयक शेष हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय को 5 बजे ही बुलाया जायेगा। श्री दशरथ देव।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : यह बड़े दुख की बात है कि स्वतन्त्रता के 29 वर्ष बाद भी हम अपनी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां समझते हैं। यदि सरकार इनकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहती तो यह कभी की हल हो गई होती, परन्तु सरकार इन समस्याओं के प्रति सदा उदासीन रही है। यद्यपि उन्हें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है और उन्हें कुछ रियायतें तथा संरक्षण प्रदान किये गये हैं, तथापि उनका परिणाम कुल मिलाकर निराशाजनक रहा है। यह बड़े दुख की बात है कि इस बात की समुचित जांच नहीं की गई कि उनको दी गई सुविधाओं के परिणामस्वरूप उनका कितना उत्थान हुआ है। अब गृह मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक एक लघु रूप में पेश किया है। यह उचित नहीं है। इसे व्यापक रूप में पेश किया जाना चाहिए था। इस विधेयक पर 144 संशोधन पेश किये गये हैं। इससे संकेत मिलता है कि यह विधेयक व्यापक रूप में पेश नहीं किया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आर्थिक स्थिति और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है और इस तरह उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सुविधाओं से वंचित रखा गया है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि संयुक्त समिति द्वारा 1967 में इस विधेयक पर की गई सिफ़ारिशों को सरकार ने ध्यान में नहीं रखा और अब उन्हें भारतीय संघ में नहीं अपितु राज्य में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के लिये लघु रूप में यह विधेयक पेश किया गया है। यह स्वागत योग्य है और इसका पूरा समर्थन किया जाना चाहिए। किन्तु साथ ही यदि किसी विशेष जनजाति को राज्य में अनुसूचित जनजाति माना जाता है, तो उस जनजाति को अन्य राज्यों में अनुसूचित जन-जाति क्यों नहीं माना जाता ? जब अनुसूचित जनजाति के लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसते हैं तो उनकी मूल जाति और स्वरूप समाप्त हो जाता है। इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। चूंकि 144 संशोधन पेश किये गये हैं, इसलिये यह संभव नहीं है कि किस संशोधन

का समर्थन किया जाये और किसका विरोध। अतः इस विधेयक को पास करने की बजाय संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए। इसे पास करने की क्या जल्दी है।

इस बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यही विधेयक पिछले सत्र में चर्चा के लिये पेश किया गया था। जब इस पर विचार आरम्भ हुआ, तो उस समय सरकार ने किसी बहाने इसे स्थगित कर दिया। अब वही विधेयक यहां चर्चा के लिये पेश किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार अनुसूचित जातियों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना नहीं चाहती और उनकी समस्याओं को अधमने ढंग से निपटाया जा रहा है। यह बड़े दुख की बात है।

आसाम में 40 लाख जनजातीय लोग हैं। इन्हें चाय बागान श्रमिक या भूतपूर्व चाय बागान श्रमिक के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से चाय बागान श्रमिकों के रूप में वहां गये थे। वे आसाम में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। उनके निकट सम्बन्धी अपने मूल राज्यों में अभी भी अनुसूचित जनजातियों के रूप में समझे जाते हैं। किन्तु असम में इन्हें अनुसूचित जनजातियों में नहीं माना जाता। समझ में नहीं आता कि इसमें क्या औचित्य है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि आसाम में कुछ निहित स्वार्थों ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर आपत्ति प्रकट की है। भारत सरकार ने यह आपत्ति स्वीकार क्यों की है। भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि सभी अनुसूचित जनजातियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाये। यदि एक बार भारतीय संघ के किसी राज्य में कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति के रूप में संगठित हो जाती है, तो उसे उस क्षेत्र में भी अनुसूचित जनजाति समझा जाना चाहिए। सरकार को इस नीति का अनुसरण करना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं माना जाना चाहिए। पड़ौसी राज्य त्रिपुरा में चकमों और हमलों को जनजाति माना जाता है। किन्तु इस जनजाति के आसाम में रहने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता। इस बात में कोई औचित्य नहीं है। अतः यह विधेयक पास नहीं किया जाना चाहिए और इसे संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये।

जहां तक त्रिपुरा का सम्बन्ध है, वहां लस्कर समुदाय अनुसूचित जनजाति समझा जाता है, किन्तु जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आदेश का सम्बन्ध है, इस लस्कर जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं माना गया है। किन्तु त्रिपुरा सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति माना है। वे अनुसूचित जाति हैं न कि अनुसूचित जनजाति। उनकी त्रिपुरा की जनजातियों से कोई समानता नहीं है। अतः लस्कर समुदाय को अनुसूचित जाति समझा जाना चाहिये, न कि अनुसूचित जनजाति।

मेरा यह भी सुझाव है कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिए, जिसे इसका समुचित रूप से अध्ययन करने का अवसर दिया जाना चाहिये और उसके बाद एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडंगा) : महोदय, मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में पहले ही एक संशोधन पेश कर रखा है कि इसे एक संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये और उसे अगले सत्र के पहले दिन प्रतिवेदन पेश करने को कहा जाना चाहिये। इस संशोधन के कई कारण हैं, परन्तु मुख्य

है कि मैं समझता हूं कि इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को लाभ नहीं होगा ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 19 मई को माननीय मंत्री द्वारा पेश किये गये ज्ञापन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि यह विधेयक केवल क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के लिये लाया गया है । वास्तव में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) विधेयक, 1967 तथा 1976 के विधेयक के प्राक्कलन में कोई अन्तर नहीं है । दोनों में एक ही शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा दोनों एक दूसरे की प्रपिलिपि हैं । किन्तु इन दोनों विधेयकों के कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में काफी अन्तर है ।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch to meet again at Fourteen Hours of the clock).

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock).

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए :

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

श्री कार्तिक उरांव : यह विधेयक सरकार ने 1967 में पेश किया था । क्या बात थी जो उन्हें उस समय इसे वापस लेना पड़ा । उस समय जो समुदाय छूट गये थे उन्हें इसमें सम्मिलित किया गया है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने और निकालने का एक मात्र उपबन्ध अनुच्छेद 341(2) में है, जो इस प्रकार है :—

> "संसद् विधि द्वारा किसी आदिमजाति या आदिमजाति समुदाय को, अथवा आदिम जाति या आदिमजाति समुदाय के भाग को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के अन्तर्गत, या से अपवर्जित कर सकेगी........"

इसमें क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । अतः यह कहना भ्रामक है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाना है ।

यह भी तथ्य है कि जब अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया जायेगा, तो इसके उद्देश्य तथा कारण समाप्त हो जायेंगे । गृह मंत्री के ज्ञापन का भी कोई उद्देश्य नहीं रहेगा । यह कहने का क्या फायदा है कि विधेयक का एकमात्र उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक, 1967 अथवा 1956 में विद्यमान क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाना है । इसमें अनुसूचित जनजाति के लिये क्षेत्रीय प्रतिबन्ध का कोई उल्लेख नहीं है । अतः यह विधेयक भ्रांतिपूर्ण है और इसमें कई त्रुटियां हैं ।

अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने के कतिपय निश्चित आधार हैं और 1967 के विधेयक में इन मानदण्डों को पूरी तरह निभाया गया है, क्योंकि उन पर पूरी सतर्कता से विचार किया गया था । सरकार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां संशोधन आदेश, 1967 क्यों पास नहीं

कर सकी थी। सचाई यह है कि हम चाहे जों डींग मारते रहें कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, परन्तु आज भी स्थिति यह है कि हम धर्म और जाति के आधार पर सोचते हैं। किसी को भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की परवाह नहीं है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि अनुसूचित जनजातियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अनुसूचित जातियों के 5 प्रतिशत धर्म परिवर्तन करने वाले लोग उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। ये धर्म परिवतन करने वाले लोग जनजातियों के लोगों को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का यह कहना कि हमारे देश में जाति-पांति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के मामले में कोई भदभाव नहीं है, सही नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में ही भेदभाव स्पष्ट है।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति माना जाता है, किन्तु आसाम में शताब्दियों से रह रहे ऐसे श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाता। लोक समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आसाम सरकार निरन्तर इस बात पर उनका दर्जा बदलने का विरोध करती रही है कि इससे स्थानीय जनसंख्या में अव्यवस्था हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें। अभी बहुत से वक्ताओं को अपना भाषण देना है।

श्री कार्तिक उरांव : कुछ जातियां तथा उपजातियां ऐसी हैं जिन्हें 1967 की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था किन्तु इस विधेयक में सम्मिलित किया गया है। कुछ जातियों और आदिवासियों को 1967 में नहीं निकाला गया था उन्हें अब निकाला गया है। कहीं कहीं क्षेत्रीय प्रतिबन्ध दूर करने से आदिवासियों को बहुत कठिनाई हो रही है। यह क्षेत्रीय प्रतिबन्ध महाराष्ट्र के उन लोगों को जो हलब और हलबी के नामों से लाभ उठाना चाहते हैं लाभ पहुंचा है। मैं आदिवासी लोगों की सेवा करने के लिए ही संसद में आया हूं और यही मेरा ध्येय है। 1962 में मुझे टिकट मिला था और तभी मैं इस* संसद् में आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किये जायेंगे। अपना अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री कार्तिक उरांव : मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जो इस पर अपनी व्यापक सिफारिशें पेश करेगी और फिर सरकार एक व्यापक विधेयक लाये।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : यह ठीक ही कहा गया है कि यह विधेयक बहुत पहले पेश कर दिया जाना चाहिए था। किन्तु यह विधेयक जिस रूप में तथा जिस तरह पेश किया गया है, उससे हमें यह महसूस होता है कि इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो की समूची समस्या हल नहीं होगी। इसमें केवल कुछ क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाने के लिए कहा गया है जो कि अधिकांशत: राज्यों में हैं। कुछ हद तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

*सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

Not recorded.

जनजातियों को, जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के कारण कठिनाई उठानी पड़ रही है, लाभ होगा। किन्तु अ चित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगो का अभी तक पता नहीं चला है और उन्हें न तो अनुसूची I में रखा गया है न ही अनुसूची II में।

आसाम में लगभग 40 लाख लोग अनुसूचित जनजातियों के हैं जो कि वहां बिहार, बंगाल तथा मध्य प्रदेश से आये हैं। वे वहां चाय बागान-श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब आसाम सरकार उन्हें अनुसूचित जनजाति का मानने से इन्कार कर रही है और केन्द्रीय सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है। यह घोर अन्याय है। उन्हें जनजातियों के लोग समझा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने न केवल जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है अपितु सरकार ने उन्हें अपने संवैधानिक तथा आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने पर भी रोक लगाई है जो कि उन्हें उपलब्ध हैं।

विधेयक में कुछ कमियां भी हैं। किसी एक राज्य में किसी जनजाति को जनजाति कहा जाता है किन्तु अन्य राज्य में उसे केवल जाति माना गया है। उसे वहां भी जनजाति मानना चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में गौंड नामक एक जनजाति है। उत्तर प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है किन्तु इस विधेयक में उन्हें जनजाति की बजाय केवल जाति माना गया है। यही बात बिहार तथा मध्य प्रदेश में कोल नामक जनजाति की है। किन्तु उत्तर प्रदेश में उन्हें जाति माना गया है। अतः सरकार को इन सब बातों पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए और हमेशा के लिए इन त्रुटियों को दूर कर देना चाहिए। वास्तव में सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों तथा जनजातियों को सम्मिलित करना तथा सूची से निकालना एक राजनीतिक हथियार अपनाना है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आसाम में इन 40 लाख लोगों को सम्मिलित नहीं किया जा सका क्योंकि आसाम सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि इन 40 लाख लोगों को जनजाति मान लिया गया तो सारी राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जायेगी। अतः इस विधेयक को पेश करने में जल्दबाजी करने के बजाय सरकार को एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिए।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सदियों से घोर उपेक्षा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वे अन्य समुदायों के समकक्ष नहीं आ पाये हैं। इसीलिए महात्मा गांधी इन लोगों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखना चाहते थे जिनके लिए संविधान में विशेष उपबन्ध किये गये हैं। किन्तु गांधी जी की इच्छा केवल इच्छा बन कर ही रह गई।

आसाम के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं माने गए हैं। वे पिछड़े समुदायों के लोग माने गए हैं। इसके अतिरिक्त यदि एक बार पांचवीं अनुसूची में सम्मिलित जनजाति उस क्षेत्र से कहीं और जाकर बस जाती है तो वे गैर-जनजाति के लोग मान लिए जाते हैं। यही कारण है, हम सरकार से कहते आ रहे हैं कि वह इस कृत्रिम क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को समाप्त कर दे। अब ऐसा कर दिया गया है। किन्तु जैसा जनजाति के लोग चाहते थे, यह उस ढंग से नहीं किया गया है। इसीलिए वे बहुत

असन्तुष्ट हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक विधेयक पेश किया जाये।

आसाम की कई जनजातियों को इस आधार पर अनुसूचि में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। यह अनुचित है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ निहित स्वार्थ उन लोगों को अनुसूची में सम्मिलित करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि ऐसा करने से राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जायेगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए इन जनजातियों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।

अब हम संविधान का प्राक्कथन धर्म निरपेक्ष, समाजवादी लोकतन्त्र के लिए बदल रहे हैं। अतः धर्म बाधक नहीं बनना चाहिए। यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या बुध धर्म को ग्रहण कर लेता है तो उसे जो अधिकार तथा सुविधाएं धर्म परिवर्तन से पूर्व उपलब्ध थीं, धर्म परिवर्तन के बाद भी उपलब्ध रहनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यदि यह विधेयक पर्याप्त नहीं समझा गया तो जनजाति के लोगों से परामर्श कर के एक व्यापक विधान पेश किया जायेगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): Sir, I on behalf of the tribals people, congratulate Home Minister and Prime Minister for bringing this Bill in the House. Removal of area restriction will go a long way to benefit large number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Some unscrupulous people in my area have established certain institutions in the name of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they are exploiting them and cheating the Government by receiving grants. These institutions are misappropriating lakhs of rupees meant for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The 'Halhas' tribes living in Madhya Pradesh and called as 'Koshti' in Maharashtra generally are engaged in weaving of cloth on handloom. This Community has been enjoying the privileges and facilities of Scheduled Tribes for the last 12 years and is considered as a Scheduled Tribes in Maharashtra.

But under the recent order this Halha-Koshti Community of Scheduled Tribes has been descheduled and all the facilities and concession admissible to them have been withdrawn. This step of Government has been resented by the people of this community. The Chief Minister of Maharashtra has assured them that this community will be included in the list. Even the Prime Minister has given assurance to the deputation of National Hallia weavers organisation and All India Tribal Federation that all the facilities which have been given to them for the last 12 years shall be continued to be given to them. Now we have given an amendment to include this community in the list.

I would, therefore, urge the Minister to look into it and ask the Government of Maharashtra to withdraw that order and restore all the facilities

admissible to them previously "Halha—Koshti" Tribe should be included in the list of Scheduled Tribes.

Shri Chandra Shailani (Hathras): I hope the amendment moved by me will be accepted by Government. The present provision under the Scheduled Castes Order, 1956 is that a person, who professes a religion different from Hindu or Sikh religion, will not be treated as a member of Scheduled Caste. This is unfair. I have given an amendment to the effect that persons irrespective of the religion which they profess, should be treated Scheduled Caste or Tribe if they are otherwise included in the Schedule.

Now basic and far-reaching changes are being made in our constitution. We are adding the words "secular and socialist" in the preamble also. Facilities admissible to Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be admissible to all persons, irrespective of whatever religion they profess. A person should not be denied benefit only on the ground that we profess a religion other than Hinduism.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिये था । इसी प्रकार का एक विधेयक 4 वर्ष पहले भी लाया गया था, लेकिन वह पास नहीं हुआ । अतः यह विधेयक पास हो जायेगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी ताकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को इससे लाभ हो ।

परन्तु वास्तविक बात यह है कि अनुसूची में नाम इतने अधिक हैं जो गड़बड़ी पैदा हो रही है और सदस्यों में असन्तोष फैला रही है । अनुसूचित जाति से अभिप्राय वे लोग हैं जो अछूत हैं जो लोग अन्य लोगों की तुलना में असमर्थ हैं । वर्तमान संविधान के लागू होने से पहले भी कुछ राज्यों, जो प्रान्त कहलाते थे, ने ऐसे कुछ समुदायों या जातियों की सूची बना रखी थी जो असमर्थता के शिकार थे और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक प्रभाव तेज होने लगा । इसलिए इन लोगों की दशा सुधारने के लिए जनता में एक प्रकार की चेतना जागृत हुई ।

इस विधेयक पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। कुछ जातियों तथा जनजातियों को इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इस कार्य प्रक्रिया में कुछेक जातियां और समुदायों को शामिल किया है जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता । उदाहरण के तौर पर कर्नाटक की अनुसूची में नायक्दा, नायक, ओलीवाला, पाकाडिया, मोटा नायका, नाना नायका आदि जातियां अनुसूची में शामिल की गई हैं लेकिन 'नायक' जाति न अनुसूचित जाति है और न ही अनुसूचिन जनजाति है। कर्नाटक में और बहुत सी जातियों के लोगों को इस सूची में शामिल किया गया है । लेकिन उनमें से एक भी अनुसूचित जाति नहीं है । ये लोग इस विधेयक के उपबन्ध से लाभ उठायेंगे। मंत्री महोदय को इस मामले की बहुत गम्भीरता से जांच करनी चाहिये ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संविधान के अन्तर्गत कुछ विशेषाधिकारों और अधिकारों की गारन्टी प्रदान की गई है और सरकारी सेवाओं में उनका कोटा निर्धारित किया गया है । समाज के उच्चतम वर्ग के लोग सरकारी सेवाओं तथा अन्य व्यवसायों

में बहुत अधिक हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उपेक्षित मध्यम वर्ग या पिछड़े वर्ग की ओर भी ध्यान देना होगा और उनकी स्थिति के अनुसार उनके मामलों पर विचार करना होगा। सरकार को इस विषय पर कालेलकर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिये और उसकी सिफारिशों के अनुसार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछड़े वर्गों की कितनी सहायता की जा सकती है।

श्री ए० के० किस्कु (झाड़ग्राम) : मैंने आसाम के चाय बागानों में काम करने वाले जनजाति के लोगों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया है। गत 10 वर्षों में मैंने प्रयास किया है कि उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलें जिनकी संविधान में गारंटी दी गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि आसाम में बसे जनजाति के लोगों को, जो चाय बागानों, खेतों और रेलवे आदि में काम करते हैं, इस सूची में शामिल किया जाये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैंने स्वयं आसाम के कांग्रेसी नेताओं को पत्र लिखे, और मैं 1973 में मुख्य मंत्री से भी मिला था। उस समय मुख्य मंत्री श्री सिन्हा ने उन लोगों को सूची में शामिल करने के लिये स्पष्ट आश्वासन दिया था। आशा की गई थी कि इन्हें सूची में शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह एक व्यापक विधेयक लायें जिससे आसाम के आदिवासियों के साथ हुआ अन्याय दूर किया जा सके।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : यह विधेयक बहुत देर से लाया गया है। यह 1966 से संसद् के अनुमोदन के लिए पड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य कथित पिछड़े वर्ग के लिये कुछ करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने 4 मुख्य सिफारिशें की हैं। जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया है और 1969 में इस सदन में प्रस्तुत किये गये संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में शामिल की गई थीं। ये इस प्रकार हैं: (1) एक राज्य में कुछ क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हैं और इन्हें दूर किया जाना चाहिए। (2) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगला देश से कुछ लोग यहां आये हैं जिनमें कुछ उन अनुसूचित जातियों के लोग हैं जो पश्चिम बंगाल और आसाम की सूची में अनुसूचित जातियां शामिल हैं। उन्हें वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहियें जो इन जातियों को मिलती हैं; (3) यदि किसी राज्य को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में या कहीं और जाकर रहने लगे तो उसे वहां भी वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राप्त हैं; (4) यदि कोई गैर-अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित माना जाये। इन चार सिफारिशों में से एक सिफारिश को भी इस विधेयक में शामिल नहीं किया गया है। केवल एक राज्य के अन्दर ही क्षेत्रीय प्रतिबन्ध समाप्त करने सम्बन्धी सिफारिश ही शामिल की गई है।

संविधान में निहित मूलभूत आदर्शों को ध्यान में रखते हुए मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इस विधेयक से उन लोगों का उद्देश्य सिद्ध होगा जिनके लिए यह यहां लाया गया है ? हमें प्रतीत होता है कि इससे यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

1956 के आदेश के अन्तर्गत यदि कोई गैर-अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता है तो वह उन सुविधाओं का अधिकारी नहीं होगा जो उसे पहले प्राप्त थीं। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

उड़ीसा में एक समुदाय 'देवार' नाम से प्रसिद्ध है। यह समुदाय अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। लेकिन इसे अनुसूचित जाति नहीं माना जाता है। उड़ीसा सरकार ने यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है।

आसाम, मेघालय, और त्रिपुरा में 'सत्रधार' नाम की एक जाति है, जो अनुसूचित जनजाति के रूप में मानी जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अनुसूचित जनजाति नहीं मानी जाती यद्यपि उनका मूल या उद्गम स्थान एक ही है। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए।

आसाम के 40 लाख आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति स्वीकार नहीं किया गया है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें यह अधिकार केवल इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार उन्हें सूची में शामिल करना आवश्यक नहीं समझती। सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इन आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अत: इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। इस तरह आंशिक विधान से समस्य का समाधान नहीं होगा। जब 20-सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना है तो एक संयुक्त सूची क्यों नहीं बनाई जाती ? इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें।

श्री ए० एम० चिट्टेय्या (चामराजनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य 1956 के अधिनियम के आधार पर क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाना है। यद्यपि इस विषय पर एक अधिनियम 15 वर्ष पूर्व पास किया था पर उसमें तीन त्रुटियां थी अर्थात् (1) क्षेत्रीय प्रतिबंध, (2) कुछ ऐसी जातियां शामिल कर ली गयी जिन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिये था, और (3) कुछ ऐसी जातियों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें शामिल किया जाना उचित था। इन्हें दूर करने हेतु ही सरकारी अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई। समिति ने प्रत्येक जाति और आदिम जाति के अध्ययन के बाद अपना प्रतिवेदन दे दिया। इसी आधार पर सन् 1967 में एक विधेयक तैयार किया गया। उसे एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था। लेकिन उसमें कई मतभेद उभर आये।

अब क्षेत्रीय प्रतिबंध दूर करने के लिए सरकार 1956 की स्थिति में जा रही है।

जिसमें बहुत सी जातियां जिन्हें सूची से निकालने के लिए सरकार ने सिफारिश की थी, अब इस विधेयक में शामिल कर ली गई है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में मंजरा नाम की जाति को अब अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है जबकि पहले उसे अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया था। सरकार को वैसे भली भांति पता है कि यह आदिवासी जाति है। एक अन्य जाति 'भोवी' को भी अनुसूचित जाति की सूची में रखा गया है। इस बात पर कई बार जोर दिया गया है और 1967 के विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने भी इस जाति को सूची में शामिल न करने की सिफारिश की थी और इसे सूची से निकाल भी दिया गया था। पर कर्नाटक सरकार के जोर देने पर इस जाति को भी अनुसूचित जातियों में रख दिया गया है। हम क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त करने जा रहे हैं जबकि इसका आधार ही गलत है। सरकार ने उन जातियों को अनुसूचित जातियों में मिलाया है जो उसके योग्य ही नहीं।

अनुसूचित जाति के मामले में हिन्दू धर्म का प्रश्न आता है लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोग देश में किसी भी धर्म के हो सकते हैं। यह भेद-भाव क्यों ? यह प्रश्न ठीक ही किया गया है कि हलालखोरों को अनुसूचित जनजातियों में किस लिए शामिल किया गया है। ये लोग मुसलमान हैं जो कर्नाटक तथा अन्य राज्यों में भी हैं।

महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों की अधिकांश अनुसूचित जातियों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। क्या केवल बौद्ध हो जाने से वे अस्पृश्यता के अन्तर्गत नहीं आते? इन्हें भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये।

सरकार को क्षेत्रीय प्रतिबंध समाप्त करने से पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत मानदंड को अपनाना होगा। कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची इस प्रकार तैयार की गई जिसमें जंगल में रहने वाले लोग शामिल किये गये थे। लेकिन अब सरकार ने अन्य सभी लोगों को शामिल कर लिया क्योंकि उनके नाम एक जैसे हैं।

कर्नाटक में करुबा नाम की जाति केवल कुर्ग जिले के जंगलों में मिलती है। क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाने से कर्नाटक राज्य में इस जाति के सभी लोग जो लगभग 40 लाख हैं स्वतः ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हो जायेंगे। जब हमने इस त्रुटि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया तो उसने इसे अनुभव किया और उसमें संशोधन किया। इसी तरह मराठा नाम का एक छोटा सा समुदाय केवल कुर्ग जिले में है। ये अत्यधिक पिछड़े लोग हैं और यथार्थ में आदिवासी हैं। क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाने पर कर्नाटक राज्य में सभी मराठा अनुसूचित जनजाति बन गये हैं।

बहुत सी घुमन्तू आदिवासी जातियां हैं, उनकी भी सूची बनायी जाये। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एक अन्य विधेयक ला रही है। यह विधेयक ही 20 वर्ष बाद लाया गया है तो यह आशा कैसे की जा सकती है कि सरकार तुरन्त एक अन्य विधेयक लायेगी। अच्छा हो यदि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये जो एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): I congratulate the Home Minister for bringing forward this Bill. The Government have made an attempt to improve the financial, political and cultural lot of Scheduled Castes and Scheduled tribes.

The main aim of this Bill is to remove area restrictions. There were a number of communities which were recognised as scheduled castes or scheduled tribes in one State but were not regarded as such in another state. For example there is a community known as 'Dusadh' which is recognised in U.P., West Bengal and Bihar but it is not there in the list of Delhi Administration. Similarly 'Khatiwe', and 'Toti' communities have not been included in the list. This should have been done.

The number of educated persons among scheduled castes and tribes has reserved because of Government facilities. Therefore the percentage of posts reserved for them in all departments should be increased from 15 to 30 per cent. The rate of scholarships being given to scheduled castes and scheduled tribes students should also be increased.

It is heard that free legal aid will be provided to the scheduled castes and scheduled tribes. What will be the shape of this aid, should be made clear. These people are extremely poor and are not able to obtain justice. So proper arrangements should be made in this regard. Steps should be taken to ensure that these people are not subjected to cruelties and harassment. In this regard the responsibility should be fixed on district officers.

In certain places attempts were made to usurp whatever little land the scheduled caste people had. The Government should take necessary steps to protect their rights as well as their lines.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): I think the Government have brought this Bill without taking into consideration all the aspects. So it will not achieve its objective. The Government have included certain communities in the schedule and have excluded certain others from the list. It appears that no scientific basis has been adopted for inclusion and exclusion of communities in the schedule.

In Bihar there is a tribe called 'Tharu'. There population is one lakh seventy thousand. They are recognised as scheduled tribe in U.P. and Orissa but the Bihar Government has not included them in the list. In this connection a memorandum was also submitted to the President but this community is not getting justice. I shall request the honourable Minister to get it included in the list of scheduled tribes.

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : मैं इस विधेयक का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश के अन्तर्गत कई जातियों को एक ही राज्य में कतिपय क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया था जिससे उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस विधेयक से अब क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है।

यद्यपि यह विधेयक एक प्रगतिवादी उपाय है तथापि अभी इसमें सुधार की काफी संभावना है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा के समय जो सुझाव दिय गये हैं या दिये जाने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक अन्य व्यापक विधेयक पेश किया जाये।

विधेयक में यह उपबंध होना चाहिये कि यदि किसी एक जाति को किसी राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित किया गया है तो उसे अन्य राज्यों में भी वही लाभ प्राप्त हों जो उसे अपने राज्य में मिलते हैं। क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें एक राज्य में तो सूची में शामिल किया गया है पर अन्य राज्यों में उन्हें मान्यता नहीं दी गयी। संवैधानिक उपबंध के अनुसार सरकार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की शिक्षा तथा अन्य सेवाओं में सुविधा प्रदान करती है। परन्तु ये सुविधायें एक ही जाति को सभी राज्यों में नहीं मिलतीं क्योंकि हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं। अतः मेरा कहना है कि जब तक हम अखिल भारतीय सूची नहीं तैयार कर लेते तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती।

पश्चिम बंगाल में पश्चिम दीनाजपुर जिले के इस्लामपुर सब डिवीजन में राजबन्सी, नामशुद्र, जेले, कैब्रत, पोलिआ, हानरी, धोबा, एनामर और कमार जातियों के 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इन्हें वहां अनुसूचित जातियां नहीं माना जाता जबकि उस क्षेत्र के पास रायगंज सब डिवीजन में उन्हें मान्यता प्राप्त है। इस भेद-भाव का कारण यह है कि इस्लामपुर बिहार का भाग है लेकिन 1950 में राज्यों के पुनर्गठन के समय इसे पश्चिम बंगाल को सौंप दिया गया। पिछले 20 वर्ष से लोग इस भेद-भाव का शिकार हैं।

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यह उपबंध है कि यदि कोई जाति 1971 की जनगणना में या उससे पहले अनुसूचित जाति नहीं मानी गई है या जनगणना अधिकारी यह मानते हैं कि कुल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या मामूली सी है तो उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। इस उपबंध पर सावधानी से विचार किये जाने की जरूरत है। अक्सर यह देखा गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आने पर इन जातियों के लोग जीविका कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और मुख्य जाति से कट जाते हैं। नये राज्यों में जाने के कारण अल्प संख्यकों में हो जाते हैं। उन्हें जनगणना अधिकारियों द्वारा सूची में सम्मिलित न करके अन्याय नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें सुविधाओं से वंचित न किया जाये।

इन सब बातों पर निर्णय लेने का काम अधिकारियों पर छोड़ना उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Chandrika Prasad Ballia): I support this Bill. I congratulate the Government for including the Gond Caste in the list of Scheduled Tribes. I also welcome the removal of area restriction.

At the same time I would like to point out that many deserving castes such as Kherbas, Raugwa Samaj, Gandharva, Bhar and Nished etc. etc. have not been included in the list of Scheduled Tribe. Similarly economically backward classes should be provided the same facilities as are being provided to the Scheduled Tribes.

Shri Ramji Ram (Akbarpur): I support this Bill. This Bill has been delayed very much. I would like to say that Bhar Caste of Eastern U.P. should also be included in this list. There is a large population of Bhar Caste in Eastern U.P. and my district. But they have been left out from this

list. I want that this caste should be included in this list when a comprehensive bill is brought in the house in near future.

I also support the additions and deletions made in the list. I would also like to point out that the provisions of the constitution are not being properly implemented by the officers and there is large discontentment among the people. The hon. Minister is aware of the legal and other difficulties of these people. With these words I support this Bill.

श्री जी० वाई० कृष्णन (कोलार) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । जो लोग यह कहते हैं कि "हलालकर" जाति मुसलमान जाति हैं तथा उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, वे गलत हैं । यह जाति सफ़ाई और मैला उठाने का काम करती आ रही है और इसी लिए 1950 के आदेश में इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया था और इस विधेयक में भी उसे ही दोहराया गया है । वे मुसलमान नहीं । मैं भी पिछली बार संयुक्त समिति का सदस्य था । यह कहना गलत है कि सभी निर्णय राजनीतिक निर्णय हैं । उन सभी जातियों के सम्बन्ध में हमने सभी सम्भव साक्ष्य दिए जिन्हें अनुसूचित जातियो की सूची से निकालने का विचार था । हमने उन्ह बताया कि उनके साथ अभी भी अस्पृश्यता बरती जाती है । कर्नाटक राज्य की सभी नगरपालिकाओं में अभी भी वे सफ़ाई और गन्दगी उठाने का काम करते हैं । इसके बावजूद एक राजनीतिक निर्णय लिया गया, सब इस बात को जानते हैं ।

यह बात सच नहीं है कि राज्य सरकार ने उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची से हटा कर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफ़ारिश की थी । केवल एक बार ही राजनीतिक कारणों तथा बहुसंख्यक जाति के दबाव से ऐसी सिफ़ारिश की गई थी । वह भी राजनीतिक था । यदि अल्पसंख्यकों के भाग्य का निर्णय राजनीति के आधार पर किया जाता है, तो हम किस प्रकार प्रगतिशील समाजवादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

इन उपेक्षित जातियों को उन्नति करने के अत्यधिक अवसर है । सरकार के इन उपेक्षित जातियों की उन्नति का अवसर दिए जाने पर कुछ निहित स्वार्थ के लोगों ने इस विधेयक पर चोट करना शुरू किया । पहले भी उन्होंने विधेयक पर चोट की है ।

इस के बावजूद कि यह विधेयक क्षेत्र प्रतिबन्ध को दूर करने के लिए लाया गया है; कुछ लोगों ने लम्बे समय से शामिल कुछ अल्पसंख्यक जातियों की सूची में से हटाये जाने का प्रयत्न किया । वे लोग इन नितान्त पिछड़ी, दलित और उपेक्षित जातियों को हटा कर अपना पूर्ण प्रभुत्व चाहते थे । ये जातियां थीं, बांगरा, भौबी, कोरचा, कोराय, हंगी जोगी, सोलेक्याता, सुदुगुदु सिद्दा आदि ।

इन जातियों के पर्यायवाची नामों को भी शामिल किए जाने के लिए मैंने संशोधन की सूचना दी है इन्हें शामिल किए बिना विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Timakgarh): I support this Bill which aims at removing the area restrictions in the matter of facilities to the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Parliamentary and Assembly Constituencies will be delimited under this legislation.

Many castes have been added in the list. I would like to point out that one Dheemar Caste in our area has not been included in the list. Population of this caste in our area is nearly one lac. They are socially and economically very backward and have been ignored since long. Justice should be done to these people. With these words I support this Bill.

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : हम इस सम्बन्ध में एक विस्तृत विधेयक की आशा रख रहे थे।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाना है। आसाम की जनजातियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वहां अनेक जनजातियों के लोगों को अब तक भी मान्यता नहीं दी गई है यद्यपि इन्हीं जनजातियों को बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। मेरा सुझाव है कि जब किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है तो इस घोषणा को हर राज्य जहां भी वे जायें, के लिये मान्य समझा जाये।

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के बारे आखिर क्या मापदण्ड अपनाया गया है। अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिये जन्म, विशेष संस्कृति, रीति अथवा बोली आदि आदि मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

क्या आसाम में चले गये व्यक्तियों ने अभी पृथक संस्कृति भाषा तथा हर बात को भुला दिया है? सरकार को इन लोगो को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मानने में क्या कठिनाई है ?

मैं मानता हूं कि इस में शायद कुछ राजनीतिक कठिनाइयां हैं। इस से राजनैतिक संतुलन बदल जायेगा। यही एक ऐसा कारण है कि जिस से सरकार उन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर रही है। आप अनुसूचित जातियों के कल्याण, उन के उत्थान आदि की इतनी बातें करते हैं, परन्तु उन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने और बस जाने से राजनीतिक संतुलन बदल जाने के भय से उन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता। उन्हें संविधान के अन्तर्गत प्राप्त सभी लाभ मिलने चाहिएं।

जातियों की जनसंख्या की गणना का आधार 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। परन्तु 1971 में ही नहीं 1961 की जनगणना में भी उन की संख्या कम करके दिखाई गई है। उन की सही संख्या के लिये 1951 की जनगणना के आंकड़ें दिखाये जायें क्योंकि पहला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में पास किया गया था।

Shri Anadi Charan Das (Jaipur): Mr. Chairman, Sir, I support the Bill. It is really a matter of deep regret that even after 30 years of independence Government finds it necessary to extend the list of Scheduled Castes and Scheduled tribes. It proves that Government has not been able to improve the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they are still politically, economicaly and socially backward and exploited. It shows that their condition has not improved during all these years. I want to know how much time will be required to bring them at par with other sections of society.

Now basic and far reaching amendments are going to be introduced in our Constitution. We should totally abolish caste system from our country. We must endeavour to bring in a casteless society so that discrimination made of the basis of caste system could be totally eliminated.

An amendment has been brought that 'Dhoba or Dhobi' should not be treated as Scheduled Caste in the State of Orissa. I strongly oppose this amendment. I know that in Orissa the colthes washed by Dhobis are worn by

[Shri Anadi Charan Das].

the upper castes after sprinkling water on them. This is the state of affairs there. So it is not justified to exclude the Dhobis in the State of Orissa from the list of Scheduled Castes.

Shri M. G. Uikey (Mandla): The removal of area restrictions as provided in the Bill will benefit 45 lakh persons in the State of Madhya Pradesh, where Scheduled Tribes were included in the list of Scheduled Tribes on regional basis. The regional restriction is being removed by this Bill and as such those people will be benefited. This Bill will also remove certain difficulties and hardships which those persons had to suffer. Therefore, I support this Bill.

It would also like to point out that mere passing of the Bill is not enough. Government should take steps for an early census of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country so that their population could be assessed and seats could be reallocated for them according to their increased population.

In many tribal areas the percentage of tribal population is coming down. The reason is that persons from cities and towns are settling there for agriculture and business. We could not blame the Government for this fall in tribal population.

I am happy that a comprehensive Bill on Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be brought soon. I will urge upon the Government that the criteria for recognising as community as Scheduled Caste and Scheduled Tribe should be strictly adhered to and all communities falling within those definitions should be brought within the purview of the proposed Bill.

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय मैं, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) विधेयक, 1976 का समर्थन करता हूं। विधेयक में राज्य के अन्दर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक तथा वर्तमान आदेश के अनुसार किसी भी जनजाति के लिये हमारे राज्य में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिये इस विधेयक का हमारे राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि कानूनी तौर पर नहीं अपितु व्यवहारिक रूप में हमारे राज्य में कुछ भेदभाव हैं। हमारे राज्य के अन्दर आदिम जाति के कुछ जिलों के लोगों को उन सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है, जो अन्य जिलों के लोगों को प्राप्त हैं। उड़ीसा के कोरपुट जिले में अधिकांश उड़िया और तेलगु लोग रहते हैं। इन तेलगु लोगों तथा आदिमजाति के लोगों को भोटिया माना जाता है। सरकार ने कोरपुट जिले की जनजातियों को सुविधायें दी हैं, लेकिन इसी राज्य के कालाहांडी जिले के लोगों को ये सुविधायें नहीं दी हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कालाहांडी जिले के आदिमजाति के लोगों को भी वही सुविधायें दी जायें।

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): If a particular community is treated as Scheduled Caste or Scheduled Tribe that community should be treated as such in all the States of our country. There is no justification in treating a particular community as Scheduled Caste in Delhi and not treating it as such in Punjab. To deny such facilities to it in any one of the States is not justified.

The reason for this state of affairs is nothing but political convenience. So the community which is treated as Scheduled Caste in a particular State should be treated as such throughout the country.

Religion should not come in the way in declaring a person Scheduled Caste and Scheduled Tribe. The persons, who have changed their religion and adopted Buddhism, Sikhism or any other religion should not be deprived of the facilities which were used to be given to them prior to their change of religion. Attention should be paid towards it. About 40 lakh tribal people working in tea plantations of Assam have not been included in the list of scheduled castes and scheduled tribes. The reason for not providing these facilities to them is politics and nothing else. It is improper. These people must be included in the list of scheduled castes.

The 'Berwa' community is treated scheduled caste in Rajasthan, Punjab and Haryana but it is not so in Delhi. Their population in Delhi is six lakh. It is a great shortcoming. There may be more shortcomings like this. These should be removed.

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस मामले में रुचि दिखाई है तथा इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है।

श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए

[Shri P. Parthasarathy in the Chair]

श्री झारखण्डे राय ने कहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की दशा बहुत खराब हो गई है। यह बात सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आजादी के बाद देश में सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की दशा सुधारने के लिये राज्यों तथा केन्द्र की योजनाओं में उनके राशि के नियतन में वृद्धि करके, आरक्षण करके, उन्हें प्रतिनिधित्व आदि आदि देकर बहुत काम किया है। सदस्यों को इस बात का भी पता है कि राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास हेतु बहुत राशि रखी जाती रही है। योजना व्यय के अलावा, हर राज्य के गैर-योजना व्यय में इस हेतु बहुत बड़ी राशि रखी गई है। केन्द्रीय क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये योजनाओं हेतु लगभग 255 करोड़ रुपये रखे गये हैं। हम सब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यय, विशेषकर अनुसूचित जाति सम्बन्धी व्यय किस प्रकार किया जाता है ताकि यह बात देखी जा सके कि क्या कोई कमियां तथा रुकावटें तो नहीं और यदि हैं तो उन्हें दूर किया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि योजनाओं को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाये ताकि इनके लाभ अनुसूचित जातियों तक पहुंच सकें।

यह उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में इन समुदायों में आपस में ही शोषण किया जा रहा है। यह कहा गया है कि कुछ ही परिवार अथवा व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त लाभों का अपने हित के लिये प्रयोग करने के प्रयास कर रहे हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम विचार करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

श्रीमती माया राय ने कहा है कि राष्ट्रीय एकात्मकता होनी चाहिये। अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ आदि जैसे कोई समुदाय नहीं होने चाहियें। निःसन्देह हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे है कि जब समूचे देश में एकात्मकता होगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो ओर इसी के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं।

हमें इस बारे में कुछ भ्रांति है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से हमारा अभिप्राय क्या है। जब तक इस बारे में हम अपना मस्तिष्क स्पष्ट नहीं करते हम हर व्यक्ति को जो गरीब अथवा पिछड़ा हुआ है इन श्रेणियों में शामिल करने की गलती कर सकते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से हमारा अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ हो और जिसके साथ अस्पृश्यता जुड़ी हुई हो। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसके रहन-सहन में कुछ प्रागैतिहासिक चिन्ह शेष हों, जिसकी एक विशिष्ट संस्कृति हो, जो भूगौलिक रूप से अलग-अलग हो तथा साधारण समुदाय से सम्बन्ध स्थापित करने में हिचकिचाता हो। किसी व्यक्ति को केवल गरीब अथवा पिछड़ा हुआ होने पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का नहीं कहा जा सकता।

संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों को सारणी बद्ध करने से सम्बन्धित है तथा अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों को सारणीबद्ध करने से सम्बन्धित है। इसकी सीमा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिये क्यों लगाई गई है? इसका कारण यह है कि कोई समुदाय एक राज्य में अनुसूचित जाति हो सकता है परन्तु दूसरे राज्य में वह अनुसूचित जाति का न हो। इसलिये अखिल भारतीय स्तर पर इसका निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में विवाद नहीं है क्योंकि इस किसी समुदाय को मिलने वाले लाभों से उस समूदाय को वंचित नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या आपने कोई जांच आयोग स्थापित किया है जो यह पता लगाये कि ऐसी कौन-कौन सी जातियां हैं जिन्हें अस्पृश्यता का अभिशाप सहन करना पड़ता है?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : आपने कहने का अर्थ है कि ये अनुसूचियां रातों रात बन गयी हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं यह नहीं कहता। आप तो विषय को उलझा रहे हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मेरा अपने नवयुवक मित्र एवं माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह विधेयक को ध्यान से पूरा पढ़ें और केवल जोश में न आयें। यदि कोई जाति सूची में आने से रह गई है तो वह उसका मामला उठा सकते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अपने वक्तव्य से क्या मन्त्री जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाया गया है, उनकी अगली पीढ़ियों को आगे कुछ लाभ नहीं मिलेगा।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य विशिष्टताओं में परिवर्त हो जाता है तो निश्चय ही मामले पर विचार करना पड़ेगा।

Shri Bibhuti Mishra: Dhangar Community has not been included in the list.

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : एक अन्य आपत्ति धर्म के बारे में उठाई गई है। लेकिन संविधान में हिन्दू धर्म की ही व्याख्या की गई है। यह दलील नहीं मानी जा सकती कि अनुसूचित जातियों के मानने के लिए धर्म का आधार न हो।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

जहां तक विधेयक के कार्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह प्रश्न उठाया गया है कि एक व्यापक विधेयक क्यों नहीं लाया जाता। इस विधेयक के इतिहास को देखते हुए तथा इस बारे में उठाये गये विवाद को ध्यान में रखते हुए हम केवल ऐसा विधेयक लाना चाहते थे जिसमें विवाद की कम से कम सम्भावना हो।

यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों की सूची में से कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में तथा अनुसूचित जनजातियों में की सूचियों में से कतिपय समुदायों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाना चाहिये। इस बारे में अनेक संशोधन पेश किये गये परन्तु उनका संयुक्त समिति द्वारा सम्मिलित किये जाने अथवा अपवर्जित किये जाने सम्बन्धी की गई सिफारिशों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

यह भी कहा गया है कि कुछ समुदायों को एक राज्य में सूची में शामिल किया गया है परन्तु दूसरे राज्य में उन्हें शामिल नहीं किया गया। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श करके इस बारे में आवश्यक हिदायत जारी करेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विधेयक के पास होते ही परिसीमन का कार्य शीघ्र किया जाये।

Shri N. E. Horo: The hon'ble Minister has not stated the reasons for not including the particular workers in list of Adivasis. (*Interruption*).

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहना चाहता।

Shri Bibhuti Mishra: May I ask the hon'ble Minister as to why Dhangar community has not been listed in any list? Similarly Tharu community has been left out.

श्री एन० ई० होरो : महोदय, इस प्रश्न पर प्रवर समिति ने विचार किया ... और उन्होंने जनजातियों की सूची भी बनायी थी। प्रवर समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : कुछ लोग बिहार में अनुसूचित जातियों में गिने जाते थे लेकिन बंगाल में आकर बसने पर उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जाता। ऐसे ही एक हेला समुदाय है। आप आसानी से इन मामलों को सुलझा सकते हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि इस विधेयक द्वारा जातियों को शामिल या अपवर्जित नहीं किया जाना है। इस विधेयक में यह कहा गया है कि यदि पश्चिम बंगाल में किसी एक समुदाय को तीन या चार जिलों में अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया है लेकिन दूसरे

जिलों में उसी समुदाय को अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया है तो वह समुदाय दूसरे जिलों में भी अनुसूचित जाति मानी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री कार्तिक उरांव का एक संशोधन है।

श्री कार्तिक उरांव : मैं इसे वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन का और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। श्री पैन्युली का संशोधन संख्या 90 पेश नहीं किया गया।

खण्ड 2

संशोधन किये गये—

Amendment made.

पृष्ठ 1,—

पंक्ति 13 और 14 का लोप किया जाये। (संख्या 128)

पृष्ठ 1, पंक्ति 15,—

"(e)" "(ङ) के स्थान पर "(d)" (घ) शब्द रख दिया जाये। (संख्या 129)

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, 4 और 8,—

"(f)", "(g)" and "(h)" (च), (छ)" और (ज) के स्थान पर "(e) "(f)" and "(g)" "(ङ), (च) और (छ) शब्द रख दिये जायें संख्या 130)।

(श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी) :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 को लेते हैं। इस पर संशोधन संख्या 65 है।

श्री एस० एम० लिङ्ग्या : मैं अपना संशोधन संख्या 65 पेश करता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 पर एक सरकारी संशोधन संख्या 131 है।

(संशोधन किया गया)

(Amendment made)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 से 35 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये —

"6(1). After the population figures have been notified for any State under section 5, it shall be the duty of the Commission to make such amendments as may be necessary in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution

of section 8 of the Delimitation Act, and of this Act, for the purpose of giving proper representation to the Scheduled Castes or, as the case may be, to the Scheduled Tribes of that State on the basis of the number of reserved seats as specified in that order as hereunder amended by the Commission and the First Schedule and Second Schedule to the representation of the Peoples Act, 1950 shall be deemed to have been amended accordingly.

(2) In making any amendments under sub-section (1), the Commission shall, as far as may be necessary, have regard to the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act.". [6. (1) धारा 5 के अन्तर्गत किसी भी राज्य के जनसंख्या आंकड़ों के अधिसूचित किये जाने के बाद, आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संसदीय और विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 (इस आदेश में दिये गये किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन किये बिना) में, आयोग द्वारा एतद्द्वारा संशोधित उस आदेश में यथाविहित आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर उस राज्य की अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330, और 332, परिसीमन अधिनियम की धारा 8, और इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे संशोधन करे, जैसे वह आवश्यक समझे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई संशोधन करते समय, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन आयोग की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) और (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा।] (131) (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8

अध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 8 लेते हैं। इस पर सरकारी संशोधन संख्या 132, 133 और 134 हैं।

संशोधन किये गये

Amendment made.

पृष्ठ 4, पंक्ति 21 से 23,--

"in each of the Order, made by the Delimitation Commission under section 8 or under section 9 of the Delimitation Act" (परिसीमन अधिनियम की धारा 8 या 9 के अन्तर्गत परिसीमन आयोग द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश में) के स्थान पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाये--

"in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976".

(संसदीय और विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में) । **(132)**

पृष्ठ 4, पंक्ति 34-35,---

"in any such order of the Delimitation Commission and provided for in such order as so amended" (परिसीमन आयोग के किसी ऐसे **आदेश** में और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित)
के स्थान पर यह **प्रतिस्थापित** किया जाये--

"in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and provided for in that Order as so amended". (संसदीय और विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में **और इस प्रकार** संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित) (133) ।

पृष्ठ 4, पंक्ति 40-41 में ---

"and the original orders made by the Delimitation Commission under sections 8 and 9 of the Delimitation Act" (और परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और 9 के अन्तर्गत परिसीमन आयोग द्वारा दिये गये मूल आदेशों) **का** लोप किया जाये । (134)

(श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 9

संशोधन किये गये

Amendment made

पृष्ठ 5, पंक्ति 8—10 में,—

"in any of the orders made by the Delimitation Commission under section 9 of the Delimitation Act and amended"

(परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत परिसीमन आयोग द्वारा दिये गये किसी आदेश में और संशोधित) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :

"in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, as amended."

(संसदीय और विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 यथा संशोधित में) (135)

पृष्ठ 5, पंक्ति 13 में,—

"in any of the said orders"

(कथित किसी भी आदेश में) के स्थान पर "in the order" (आदेश में) शब्द रखे जायें। (136)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 में,—

"the orders" (आदेशों) के स्थान पर "the orders" (आदेश) शब्द रखा जाये। (137)

(श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 10 was added to the Bill.

पहली अनुसूची

अध्यक्ष महोदय : हम पहली अनुसूची लेते हैं। इस पर संशोधन हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं।

श्री राम हेडाऊ : मैं अपना संशोधन संख्या 7 पेश करता हूं।

श्री अनादि चरण दास : मैं अपने संशोधन संख्या 14 और 17 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 19 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 32 और 33 पेश करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 108 पेश करता हूं।

श्री दशरथ देव : मैं अपना संशोधन संख्या 44 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दय्या : मैं अपने संशोधन संख्या 66 और 69 पेश करता हूं।

श्री जाम्बुवंत धोते : मैं अपने संशोधन संख्या 78 और 79 पेश करता हूं।

श्री के० जी० देशमुख : मैं अपना संशोधन संख्या 83 पेश करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं अपने संशोधन संख्या 91, 92, 93, 94, और 95 प्रस्तुत करता हूं।

श्री भान सिंह भौरा : मैं अपना संशोधन संख्या 99 प्रस्तुत करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं अपने संशोधन संख्या 109 और 110 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्र शैलानी : मैं अपना संशोधन संख्या 138 प्रस्तुत करता हूं।

Shri B. S. Bhaura: My amendment seeks to give scheduled caste to the boy who marries a scheduled girl.

Shri Ramavatar Shastri: Sir, I want that people of Bhumij caste in Bihar should be considered as scheduled castes people in Champaran districts also. In my amendment No. 33 I have given the names of certain castes of Bihar. They should be included in the scheduled castes' lists.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Jambuwant Dhote: I want that Dhobi caste should be included in the scheduled castes list. It is a most backward caste. Similarly I want some other castes to be recognised. They fulfil the criteria laid down in this regard, I have moved my amendment keeping in view all this.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इन संशोधनों से सहमत नहीं हूं। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अन्य जातियों को शामिल करने के लिये नहीं हैं। इस विधेयक द्वारा कुछ क्षेत्रीय पाबन्दियां लगाने का विचार हैं।

Shri Jambuwant Dhote: Sir, I rise on a point of order. He said that it is not an inclusion Bill. But if you see the agenda, it is clearly written that this includes the inclusion of castes. There is no limitation.

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक के विषय वस्तु के बारे में हैं। मेरे विचार में विधेयक के लिये इन संशोधनों को लिया जा सकता हैं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं संशोधनों का विरोध करता हूं।

संशोधन किया गया
Amendment made.

पृष्ठ 8, पंक्ति 50,—

"12 Bakad, Bans"

(12. बाकड, बंस) के स्थान पर "12. Bakad," (12 बाकड; बस)" प्रतिस्थापित किया जाय (50)

पृष्ठ 8, पंक्ति 50 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"12A. Bant (in Belgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara Districts."

(12क. बंट (बेलगाम, बीजापुर, धारवाड़ और नार्थ कनारा ज़िलों में) (51)

पृष्ठ 10, पंक्ति 29-30:—

"36 Malayan (excluding the hill areas)"

(36. [मालायान (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)] के स्थान पर—

"36. Malayan (in the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)

[36. मालायान, (राज्य पुनर्गठन, अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में] (52)

(श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)

श्री मूल चन्द डागा : हमें संशोधनों पर बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आगे आ चुके हैं। अब मैं संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 7, 14, 17, 19, 32, 33, 44, 66, 69, 78, 79, 83, 91 से 95, 99, 108 से 110, 127 और 138 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 1, 2, 7, 14, 17, 19, 32, 33, 44, 66, 69, 78, 79, 83, 91 *to* 95, 99, 108 *to* 110, 127 *and* 138 *were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

The first schedule. as ame added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

श्री राम हिडाक : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 10, 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 35 और 36 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दशरथ देव : मैं अपने संशोधन संख्या 46 और 49 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 20, पंक्ति 7,—

"28. Kuruba" (28 कुरुबा) के स्थान पर "28. Kuruba (in Coorg district)" [28 कुरुबा (कुर्ग जिले में)] प्रतिस्थापित किया जाये (53)

पृष्ठ 20, पंक्ति 14,—

"35 Maratha" (35 मराठा) के स्थान पर "35 Maratha (in Coorg District)" [35 मराठा (कुर्ग जिले में)] प्रतिस्थापित किया जाये। (54)

पृष्ठ 20, पंक्ति 15,—

"36 Marati" (36 मराटी) के स्थान पर "36 Marati (in South Kanara District)" [36 मराठी (साऊथ कनारा जिले में)] प्रतिस्थापित किया जाये (55)

पृष्ठ 20, पंक्ति 43,—

"25 Malayan (in the hill areas)"

[25. मालायन (पहाड़ी क्षेत्रों में)] के स्थान पर

"25. Malayan (excluding the comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)" 25

[मालायन (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों को छोड़कर)] प्रतिस्थापित किया जाये। (56)

पृष्ठ 25, पंक्ति 5—8,—

"25 Malayali (in Pudkottai, North Arcot, South Arcot, Salem and Tiruchirapalli districts)"

[25. मालायाली (पदुकोटाई, नार्थ एरकाट, साउथ एरकाट, सेलम और तिरुचिरापल्लि जिलों में)] के स्थान पर

"25 Malayali (in Dharampuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot, and Tiruchirapalli districts"

[25. मालायाली (धर्मपुरी, नार्थ एरकाट, पदुकोटाई; सेलम, साउथ एरकाट और तिरुचिरापल्लि जिलों में)] प्रतिस्थापित किया जाये। (57)

श्री कमला मिश्र "मधुकर" : मैं अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जम्बुवन्त धोते : मैं अपने संशोधन संख्या 81 और 82 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : मैं अपना संशोधन संख्या 97 प्रस्तुत करता हूं।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मैं अपना संशोधन संख्या 98 प्रस्तुत करता हूं।

श्री भानसिंह भौंरा (भटिंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 100 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : मैं अपना संशोधन संख्या 124 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 141 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्यमनीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 142 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Ramavatar Shastri: Persons belonging to Bhumij community living in Champaran should be treated as Scheduled Tribes and the word 'Bhumij' be included in the second schedule.

'Tharu', 'Dhingar' and 'Bhuvan' communities should be included in the list of Scheduled Tribes.

Shri K. M. Madhukar: 155th and 56th report of the Commissioner of Scheduled Castes and the report of Bihar Government of August, 1975 and Bihar Tenancy Act of 1885 should be taken in account. People belonging to 'Tharu' community live in Bihar and Uttar Pradesh. This community should be included in the list of Scheduled Tribes.

Shri B. S. Bhaura: This is a very serious issue regarding removal of untouchability. If a girl belonging to Scheduled Tribes marries a Caste Hindu person; should be treated as a scheduled tribe and should continue to enjoy all such facilities.

श्री एन० ई० होरो : 40 लाख आदिवासी आसम के चाय बागानों में काम करते हैं और इन लोगों में अनुसूचित जन जातियों के सभी लक्षण मिलते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाये।

Shri Ram Hedaoo: Sir, the Home Minister has stated that there will be no inclusion or exclusion. There are certain Castes which are treated as scheduled castes or scheduled tribes and these castes have a number of sub-castes. These sub-castes should also be included in the list so that people belonging to these sub-castes may enjoy all the facilities provided to the scheduled castes and scheduled tribes. I have mentioned them in my amendment (7). A particular community in one State is called by different name in another State. Therefore my amendments to this effect should be accepted.

श्री दशरथ देब ; कुछ जनजातियों को एक राज्य में अनुसूचित जनजातियां माना जाता है लेकिन दूसरे राज्य में नहीं। इन जनजातियों को सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति माना जाना चाहिए।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): The people belonging to 'Pahar' community should be included in the list of scheduled tribes. This community lives in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. They should be recognised as scheduled tribes.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं श्री दशरथ देव का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह इस विधेयक और संविधान की भावना के प्रतिकूल है । अन्य बातों को मैं बारबार नहीं दोहराऊंगा इस विधेयक में किसी नई जाति को शामिल नहीं किया गया है । इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है और यह भी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाना है । मैं फिर बताना चाहता हूं कि यदि किसी ऐसी जाति या जन-जाति को जो किसी अन्य समुदाय की पर्यायवाची है तो उसके बारे में राज्य सरकारों की सलाह से आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 20, पंक्ति 7,—

"28 Kuruba (28 कुरुबा)" के स्थान पर "28 Kuruba (in Coorg District)"

"28 कुरुबा (कुर्ग जिले में)" प्रतिस्थापित किया जाये (53)

पृष्ठ 20, पंक्ति 14,—

"35 Maratha (35 मराठा)" के स्थान पर "35 Maratha (in Coorg District)"

"(35 मराठा (कुर्ग जिले में)" प्रतिस्थापित किया जाये । (54)

पृष्ठ 20, पंक्ति 15,—

"36 Marati (36 मराटी)" के स्थान पर "36 Marati (in South Kanara District)" "36 माराटी (साउथ कनाडा जिले में)" प्रतिस्थापित किया जाये (55)

पृष्ठ 20, पंक्ति 43

"25 Malayan (in the hill areas)"

"25 मालायन (पहाड़ी क्षेत्रों में)" के स्थान पर

"25 Malayan (Execluding the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)"

"25 मालायन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37 वां) की धारा 5 की उपधारा 2 विनिर्दिष्ट मलाबार जिले के क्षेत्रों को छोड़कर] प्रतिस्थापित किया जाये । (56)

पृष्ठ 25, पंक्ति 5–8,—

"25. Malayali (in Pudukottai, North Arcot, South Arcot, Salem and Tiruchirapalli districts".)

"25 मालायाली (दुकोटाई, नार्थ एरकाट साउथ एकाट, सेलम और तिरुचिरापल्ली जिलों में) के स्थान पर"

"25. Malayali (in Dharmapuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapalli districts)"

"25 मलायाली (धर्मपुरी; नार्थ एरकाट; पदुकोटाई, सलम; साउथ एरकाट तथा तिरुचिरापल्ली जिलों में)" प्रतिस्थापित किया जाये। (57)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दशरथ देव का संशोधन संख्या 46 सभा के मतदान के लिए **प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।**

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री एन० ई० होरो का संशोधन संख्या 124 **सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दूसरी अनुसूची के अन्य संशोधन **सभा के मतदान के लिए रख गये और अस्वीकृत हुये।**

The amendment were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, बिधेयक की अंग बने'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी जाये।

Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : द्वारा श्री रामावतार शास्त्री का संशोधन संख्या 31 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

हमारे पास समय बहुत कम है और विधेयक के तृतीय वाचन पर बहुत से सदस्यों के नाम हैं जो बोलना चाहते हैं । मैं उनका अधिकार तो नहीं ले सकता लेकिन उनसे यही अनुरोध है कि वे विधेयक का या तो विरोध करें या उसका समर्थन ही करें । तर्क नहीं दें ।

Shri Ramavatar Shastri: While supporting this Bill I would like to say a few words. Dhobis, Mehtar, Hari, Lal Begi, Halalkhor and Dhoni castes are among Hindus and Muslims both in Bihar. All these communities should be included in the list of Scheduled Castes irrespective of the facts whether they are Hindus or Muslims.

Secondly, Ganjhu and Kole Communities lineing in Hazaribagh district of Bihar should also be included in the list of Scheduled Castes.

Thirdly, the constituencies where Scheduled Castes and Scheduled Tribes communities reside in large number should be demarcated or fresh delimitation work completed so that there may be great representation of these communities.

Shri Jumbuwant Dhote: I and my party support this Bill. There are a large number of Communities which have been suggested for inclusion in the Schedule. I request the hon. Minister that a committee should be appointed to go into this matter in future also.

Prof. S. L. Saksena: Government is passing this Bill and making legislation to ameliorate the lot of Harijan and Scheduled Castes and Tribes. But these people are being harassed. So far as the matter of family planning is concerned these people are being forced to go in for sterilization. This is not good. Are they not human beings. They should be treated properly.

Shri Bibhuti Mishra: Sir, I have submitted an amendment that Tharus should be included in the second Schedule. But in respect of Orissa it has been mentioned as Tharua and 'Dhangar' is not in any list. So 'Tharu' and 'Dhangar' communities in Bihar should be included in the list of Scheduled Tribes.

Paripoornanand Painuli: I support this Bill. But I urge the Minister that "Ramanta", Jamsari" and 'Jamunpuri' communities should be included in the list of Scheduled Tribes.

Sardar Swaran Singh Sokhi: Sir, I support this Bill. But I would request the hon. Minister that 'Tanti' community should be included in the list. Bihar Government has recommended for this inclusion.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह कहा गया है कि हरिजनों के साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। हम हरिजनों को जानवर नहीं समझते हैं। हमारा यही प्रयास रहा है कि हरिजनों की यथा-सम्भव सहायता की जाये और उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति माना जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISION BILL

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री ने अनुरोध किया है मद संख्या 9 पर मदसंख्या 10 से पहले विचार किया जाये।

यह विधेयक पिछले सत्र के दौरान पुरःस्थापित किया गया था। हम सब ने सहमति प्रकट की की थी कि इस पर चर्चा नहीं होगी। मन्त्री महादय को उत्तर देना है। यदि वह उत्तर दें तो हम दूसरे विषय पर विचार करेंगे।

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं संशोधनों पर विचार करने के दौरान हीं उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। मन्त्री महोदय ने बहुत से संशोधनों का नोटिस दिया है। क्या मैं यह समझूं कि वह इन्हें प्रस्तुत नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 से 11 तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 से 11 तक विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 11 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 12 को लेते हैं।

श्री ओम मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 23,—

'Explanation I' (स्पष्टीकरण I) के स्थान पर 'Explanation' (स्पष्टीकरण) रख दिया जाये।

(संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 23,—

'who shows any negligence' (जो किसी प्रकार की उपेक्षा दिखाये) के स्थान पर 'who willfully neglects' (जो जानबूझ कर उपेक्षा करे) रख दिया जाये।

(संख्या 4)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 26 से 37 का लोप किया जाये।

(संख्या 5)

संशोधन संख्या 5 द्वारा हम पंक्ति 26 से 37 तक का लोप कर रहे हैं। क्योंकि संयुक्त समिति ने इस प्रकार की सिफारिश की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 23, –

'Explanation I' (स्पष्टीकरण I) के स्थान पर 'Explanation' (स्पष्टीकरण) रख दिया जाये। (संख्या 3)

पृष्ठ 5, पंक्ति 23,–

who shows any negligence' (जो किसी प्रकार की उपेक्षा दिखाये) के स्थान पर 'who willfully neglects' (जो जानबूझ कर उपेक्षा करे) रख दिया जाये।

(संख्या 4)

पंक्ति 5, –

पंक्ति 26 से 37 का लोप किया जाये।

(संख्या 5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 13 को लेते हैं, जिसके बारे में एक संशोधन है।

(संशोधन किया गया)

(*Amendment made*)

पृष्ठ 6, पंक्ति 38—

'1898' के स्थान पर '1973' रख दिया जाये

(संख्या 6)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 13, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 14 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 14 to 16 were added to the Bill.

खण्ड 17

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 7, पंक्ति 20,—

"15" के स्थान पर "15 (1)" रख दिया जाये।

(संख्या 7)

पृष्ठ 7, पंक्ति 21,—

"1898" के स्थान पर "1973" रख दिया जाये"।

(संख्या 8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 24,—

Magistrate of the first Class

(प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के स्थान पर)

Judical Magistrate of the first Class or in a metropolitan area by a Metropolitan Magistrate

(प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगरीय क्षेत्र में महानगरीय मजिस्ट्रेट रख दिया जाये)। (संख्या 9)

पृष्ठ 7, पंक्ति 25, के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(2) Notwitstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) when any public servant is alleged to have committed the offence of abetment of an offence punishable under this Act, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take congnisance of such offence of abetment except with the previous sanction—

(a) of the Central Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of the Union; and

(b) of the State Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of a State."

(Shri Om Metha).

[दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का दो) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सरकारी कर्मचारी अपना सरकारी कर्त्तव्य निभाते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध करने का दोषी पाया जाये तो निम्नलिखित की पूर्व अनुमीत के बिना किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त अपराध को स्वीकार नहीं किया जायेगा :—

(क) यदि व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की सेवा में हो तो केन्द्रीय सरकार ; और

(ख) यदि व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा में हो तो राज्य सरकार]

(संख्या 10)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 18

(संशोधन किया गया)

(Amendment made)

पृष्ठ 8, पंक्ति 15,——

'Any person found guilty'

(कोई व्यक्ति दोषी पाया जाये) के **स्थान** पर

Any person above the age of fourteen years who in found guilty

(14 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई व्यक्ति दोषी पाया जाये) रख दिया जाये।

(संख्या 11)

पृष्ठ 8,—

प्रस्तावित धारा 16क के हाशिये में दिये गये शीर्षक के स्थान पर

'Probation of Offenders Act, 1958 not to apply to persons above the age of fourteen years

(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958, 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा) रख दिया जाये।

(संख्या 12)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 19

(संशोधित किया गया)

(*Amendment made*)

पृष्ठ 8, पंक्ति 32-35,-

"the untouchability (offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Act, 1974.

[अस्पृष्टश्यता (अपराध) संशोधन तक प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1974] के स्थान पर "this act" (यह अधिनियम) रख दिया जाये।

(संख्या 13)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 20

(संशोधन किया गया)

(*Amendment made*)

पृष्ठ 9, पंक्ति 3-4,--

"the untouchability (offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Act, 1974

[अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1974) के स्थान पर "this act" (यह अधिनियम) रख दिया जाये।

(संख्या 14)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10-11,-

"the untouchability (offences) Amendment and Miscellaneous Provisions Act, 1974

[अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1974] के स्थान पर "this act" (यह अधिनियम) रख दिया जाये।

(संख्या 15)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauuse 20, as amended was added to the Bill.
Clause 21, was added to the Bill.

खण्ड 21 विधेयक मे जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.
(Amendment made)

खण्ड 1,—

(संशोधन किया गया)

(Amendment made)

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1974" के स्थान पर "1976" रख दिया जाये।

(संख्या 2)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

(संशोधन किया गया)

(Amendment made)

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"25वें" के स्थान पर '26वें" जोड दिया जाय।

(संख्या 1)

(श्री ओम मेहता)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप मे, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री ओम मेहता : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

THE ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में चल रही अधिवक्ता और सोलिसिटेर की दोहरी पद्धति को समाप्त करने के लिये इस विधेयक को पुरःस्थापित करने से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1970 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। इस समिति ने महसूस किया कि इस पद्धति को यथाशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। फिर भी समिति विधेयक में इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं कर सकी क्योंकि इसने महसूस किया कि सरकार द्वारा सभी सम्बन्धित न्यायालयों तथा अन्यों के परामर्श से मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये ।

हमने समिति की इच्छानुसार बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों सम्बन्धित 'बार एसोसिएशनो' भारतीय बार कौंसिल, बम्बई और कलकत्ता की इन्कारपोरेटेड ला सोसाइटियों और कुछ व्यापार गृहों के विचार मालूम किये। सम्बन्धित उच्च न्यायलोंयों के नियमो में संशोधन द्वारा सालीसीटर की अनिवार्य सेवायें लेना बहुत कम हो गया है परन्तु वास्तव में इन उच्च न्यायालयों में दोहरी पद्धति चल रही है जो विरासत में मिली है। इससे गरीब मुकदमेंबाजों पर अधिक बोझ पड़ता है क्योंकि उसे अपनी कार्यवाही करने के लिये दो प्रकार के वकील करने पड़ते हैं। अब समय आ गया है कि मुकद्दमेबाजी व्यय को कम करने के लिये इस दोहरी पद्धति को समाप्त किया जाये। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती गयी है कि 'अटारनी' द्वारा इस पद्धति को जारी रखने में कोई बाधा नहो क्योंकि उन्होने इस वर्ष के अन्त तक अपना नाम एडवोकेट के रूप में लिखवा दिया था। नये वर्ष से कानून का पेशा करने वाले केवल एक ही प्रकार के व्यक्ति होंगे अर्थात एडवोकेट जैसा कि अधिनियम की धारा 29 में बताया गया है।

एक अन्य बात प्रार्थी द्वारा अपना नाम एडवोकेट के रूप में लिखवाने के लिये दी गई अभ्यावेदन फीस में भारतीय बार कौंसिल के भाग के बारे में है जो वर्तमान में 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत है। इस विधेयक में अभ्यावेदन फीस में भारतीय बार कौंसिल के भाग के 20 प्रतिशत को कम करके 10 प्रतिशत करने की मांग की गई है जैसा कि विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी मांग की है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाअधिवक्ताओं को क्रमशः भारतीय बार कौंसिल और राज्य बार कौंसिल के पदेन चैयरमैन बनाने की मांग की गई है। पंजाब और हरियाणा बार कौंसिल और पूर्वी राज्यों की बार कौंसिलों के लिये कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किये गये हैं ताकि संगठित राज्यों के महाअधिवक्ता पारी से अध्यक्ष पद प्राप्त कर सकें। दिल्ली बार कौंसिल की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को एक अधिवक्ता को इसका चयरमेन नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति देने और शीर्ष निकाय अर्थात भारतीय बार कौंसिल म केन्द्रीय सरकार को प्रतिनधित्व देने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि अधिक्ता अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जा जाये।"

Shri M. C. Daga (Pali): I welcome this Bill because it will do away with the dual system. Under this system interested party had to go to both. Advocate and the solicitor and pay necessary fees to them.

This Bill want the Attorney General to be the Chairman of the Bar Council of India and the Advocate General to be the Chairman of State Bar Council. This step of the Government will diminish the importance of the Bar Councils. It will be a undemocratic step. Government should reconsider this step.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): I support this resolution. This step of the Govt. to do away with the dual system is in the right direction.

Nomination of Chairman of Bar Council of India and State Bar Councils is most undemocratic and against all the norms of democracy. The Bar Councils will never approve of this step of the Government. I cannot support this part of the Bill.

Prof. S. L. Saksena (Makarajganj): It is not proper to effect reduction from 40 per cent to 20 per cent. Provision of nomination is definitely most undemocratic. I would like that the hon. minister should withdraw the provision of nomination.

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : इस सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी दोहरी फीस देने के लिये कहा जाता है।

इस विधेयक के संशोधन के माध्यम से पहले तो बम्बई और कलकत्ता दोनों में ही न्यायवादियों, अधिवक्ताओं की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है तथा दूसरे उनके आवंटन का 20 प्रतिशत भाग अखिल भारतीय बार कौंसिल तथा शेष 80 प्रतिशत राज्य बार कौंसिलों को दे दिये गया है। जहां तक राज्य बार कौंसिल के चुनावों का प्रश्न है, अब तक बार कौंसिल के सदस्यों का चुनाव राज्य उच्च न्यायलय के अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता आ रहा है।

बार कौंसिल के सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर अपने चेयरमैन का चुनाव किया जाता था। अब मद्रास या बम्बई उच्च न्यायालय या अन्य उच्च न्यायालयों के महान्यायवादी को चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। परन्तु यह पद्धति लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित नहीं है। जिस वकील को वकालत करते हुए 10 वर्ष हो गए हो, उसे वाईस चेयरमैन का चुनाव लड़ने की अनुमति होनी चाहिए । वरिष्ठ लोगों को यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि वरिष्ठतम व्यक्ति ही चेयरमैन चुना जाए। मैं अखिल भारतीय बार कौंसिल का वाइस चेयरमैन महाधिवक्ता को बनाए जाने का भी विरोध करता हूं। हमें युवा वकीलो को प्रोत्साहन देना चाहिए।

जहां तक सरकारी वकीलों तथा अधिवक्ताओं की मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्ति का प्रश्न है, हमारे पास बहुत से ऐसे पुराने वकील हैं जिनकी आयु 70 या 80 वर्ष है तथा जो अभी तक सरकारी वकील के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। कनिष्ठ वकीलों को भी मामले दिए जाने चाहिए।

कानूनी व्यवसाय में बड़ी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल रही है। सरकार को इसमें हस्ताक्षेप करके विधि महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए कुछ करना चाहिए।

अधिवक्ताओं की फीस में गत 100 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब समय आ गया है जबकि अधिवक्ताओ की फीस दीवानी मामलों और मुकदमों में वास्तविक आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए ।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं मेरी बातों को शामिल कर वह एक विधेयक पेश करें।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : मैं इस छोटे से परन्तु महत्वपूर्ण विधेयक का स्वागत करता हूं । इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि भारत की बार कौंसिल के लिए चैयरमैन की नियुक्ति पदेन के रूप में की जाये और राज्य बार कौंसिलों की नियुक्ति के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाये। इसमें सन्देह नहीं कि महान्यायवादी और राज्यो के महाअधिवक्ता बार के नेता होते हैं और इसलिए इस विधेयक के माध्यम से वास्तविक स्थिति को वैधानिक रूप दिया जा रहा है।

दूसरे, इस विधेयक में यह व्यवस्था भी है कि अभिवक्ताओं की दाखला फीस का 20 प्रतिशत भाग शीर्शस्थ संस्था को दिया जायेगा जबकि इस समय उसे 40 प्रतिशत भाग दिया जा रहा है। यह कहा गया है कि ऐसा राज्य बार कौंसिल के सदस्यो को बीमा भविष्य निधि सुविधा देने और निर्धनों को कानूनी सहायता देने के लिए किया गया है। पर क्या राज्य बार कौंसिलो के पास कानूनी में सहायता देने के लायक पैसा है।

यह सराहनीय है कि बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में प्रचलित दोहरी पद्धति को समाप्त किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप न्यकय प्राप्त करने में होने वाला विलम्ब कम हो जायेगा अतेर उस पर खर्च भी पहले की उपेक्षा काम आयेगा ।

यदि सरकार ने विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है तो कानूनी व्यवसाय से सम्बद्ध अन्य प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए ताकि यह विधेयक और अधिक सार्थक बन सके।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill. It will give relief to poor people in litigation. It is good that the posts of solicitors are being abolished. They were looting the litigants and earning a lot. But why the post of Solicitor General is being retained? It should also be abolished.

It is also good that the share of Bar Council is being reduced from 40 per cent to 20 per cent. It will help the State Bar Councils in taking up cases under 20 point programme and they will be able to help the poor.

More thought should be given to the question of the term of office of the Chairman of State Bar Council.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मैं इस अधिवक्ता विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में यह अच्छा उपबन्ध किया गया है कि जहां केन्द्रीय बार कौंसिल को सभी राज्यों से फीसों के रूप में धनराशि प्राप्त होगी और इस प्रकार उसके पास पर्याप्त धन जमा हो जायेगा, वहां राज्यों की बार कौंसिलों को केवल संबंधित राज्य से ही आय होगी।

इसके साथ ही इस विधेयक में चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को मनोनीत करने का जो उपबन्ध किया गया है, वह ठीक नहीं है। अधिवक्ताओं को चुनावों से वंचित क्यों रखा जाये। मैं आप से यह अपील करता हूं कि बार कौंसिल, चाहे वह राज्य स्तर की हो अथवा केन्द्रीय स्तर की, चैयरमैन तथा वाइस-चेयरमैन के पदों के लिए चुनाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : दोहरी पद्धति को समाप्त करने के प्रस्ताव का आमतौर पर स्वागत किया गया है। परन्तु कुछ अन्य उपबन्धों की आलोचना भी की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि यदि भारत में सभी जगह इस दोहरी पद्धति को समाप्त किया जाना है तो फिर भला अभी अभिलेख अधिवक्ता के पद को, जो कि अन्य न्यायालयों के न्यायवादी के लगभग अनुरूप है, के बनाये रखने की क्या आवश्यकता है ?

अभिलेख अधिवक्ता के पद को उच्चतम न्यायालय में बनाये रखना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय में तीन प्रकार के अधिवक्ता होते हैं जिनके नाम हैं अभिलेख अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता। अभिलेख अधिवक्ता का काम वकालतनामों को फाइल करना, न्यायालयों की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए कार्य करना, चेम्बर के कार्य की देखभाल करना तथा साइक्लोस्टाइलिंग के कार्य की देखभाल करना होता है। उसके पास बहुत अधिक प्रशासनीय कार्य होता है। यदि वरिष्ठ अधिवक्ता को यह कार्य सौंप दिया जाता है तो वह न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य का न्यायोचित ढंग से पालन नहीं कर पायेगा। यदि वरिष्ठ अधिवक्ता ये सब विविध कार्य करता रहे तो वह सारे वर्ष में दो या तीन मामलों का निपटारा भी नहीं कर पायेगा। इसलिए अभिलेख अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का होना अनिवार्य है।

अधिवक्ताओं की यह तिहरी प्रणाली किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाई गई है, अपितु वह तो उच्चतम न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत बनाई गई है। अधिनियम की धारा 52 उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 145 के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उसे इन्हीं नियमों के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 145 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के एक बार न्यायालयों की प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यताओं के अनुरूप नियम बना लिए

जाने पर हमारा काम समाप्त हो जाता है। उसे अधिवक्ताओं की तिहरी व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा अधिकार है।

केन्द्रीय बार कौंसिल को राज्य बार कौंसिल के 20 प्रतिशत अंशदान देने का प्रश्न भी उठाया गया है। बार कौंसिल को काफी धन की आवश्यकता होगी। बार कौंसिलों ने स्वयं इस बात को अनुभव किया कि केन्द्रीय बार कौंसिल को दिए जाने वाले अंशदान की प्रतिशतता कम की जानी चाहिए। वास्तव में केन्द्रीय बार कौंसिल के पास 74 करोड़ रुपए हैं। उन्हें 20 प्रतिशत अंशदान और देकर उनके 74 लाख रुपए को एक करोड़ रुपया बना कर उन्हें और समृद्ध करने की भला आवश्यकता ही क्या है ? दूसरी ओर उस 20 प्रतिशत अंशदान से राज्य बार कौंसिल गरीबों का मुकदमा लड़ने वालों के लिए तथा स्वयं अपने लिए काफी कुछ कर लेगी। यह कार्यवाही एक-तरफा नहीं की गई है। उसके लिए एक सशक्त कारण है। बार कौंसिलों में एक नई जागृति आ रही है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसे कम किया है।

मनोनीत करने का प्रश्न भी उठाया गया है। सिद्धान्त रूप से इसकी आलोचना भी की गई है। 1963 में जब पहली बार अधिवक्ता अधिनियम लागू किया गया तो उस समय उसमें वह उपबन्ध था कि महान्यायवादी उसका पदेन चेयरमैन होगा और महा-अधिवक्ता उसका वाइस चेयरमैन होगा। हम इस व्यवस्था को 2 वर्ष तक आजमाते रहे। इन चुनावों के कारण बार कौंसिल में आपसे में मतभेद हो गया। प्रत्येक मामले का निर्णय इस आधार पर किया जाने लगा कि क्या किसी व्यक्ति विशेष ने चुनावों के दौरान चेयरमैन के पक्ष में या उसके विरोध में कार्य किया था। यह बात केवल बार कौंसिलों में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश में हो रही है।

इसके अन्य भी कई कारण थे। बार का नेता होने के कारण महान्यायवादियों को कई सांविधिक दायित्व भी सौंप दिए गए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अन्तर्गत उन्हें यह निर्णय करना होता था कि क्या किसी ट्रस्ट के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। कानून की व्याख्या यह की गई है कि यदि एक बार महान्यायवादी इसकी अनुमति दे दे या अनुमति देने से इन्कार कर दे तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय द्वारा यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि जब महान्यायवादी धारा 92 के अन्तर्गत अपने दायित्वों का निर्वाह करता हैं तो वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करता। इसीलिए यह कहना ठीक नहीं है कि वह एक सरकारी आदमी होता है और एक विशिष्ट ढ़ंग से कार्य करता है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा के दो संशोधन हैं । क्या वह इन पर मतदान कराना चाहेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा उन्हें अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है ?

माननीय सदस्यगण : जी हां ।

संशोधन संख्या 1 और 2 सभा की अनुमति से वापिस लिए गये ।

The amendments, no. 1 and 2 were, by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 4 से 11, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 to 11, Clause 1, the enacling formula and the title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए" ।

Shri Jambhumant Dhote (Nagpur): On a point of information, I want to know whether such an important Bill can be passed without any quorum in the House?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : जी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned since die.

म० प्र० भ० स० म० न० दि० —एल०एस० III—1763 एल०एस० —19-10-76—200
GMGIPNDMR—LS III—1763 LS—19-10-76—200